"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014—आश्विन 4, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-50/2001/1-15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु आयोजित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 में किये गये अनुशंसा अनुसार श्री के. के. बिसेन, भा.व.से. (1998) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 3(2) (i) (iii) के अंतर्गत दिनांक 01-01-2011 से प्रवर श्रेणी वेतनमान पी.बी. 4: रुपये 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रुपये 8700/- में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16017/10/2014-आईएफएस II, दिनांक 20-5-2014 द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु 10 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/5.—मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर से प्राप्त पत्र संख्या 24/चार/वि.स.उप-चु./2014/12292 दिनांक 06-09-2014 द्वारा राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-79-अंतागढ़ (अजजा) हेतु विधान सभा उप चुनाव-2014 निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दिनांक 13 सितंबर, 2014 दिन शनिवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-79-अंतागढ़ (अजजा) स्थित कार्यालयों में दिनांक 13 सितंबर, 2014 दिन शनिवार को मतदान के लिए स्थानीय/सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-07/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, कार्यकारी संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ छत्तीसगढ़ को दिनांक 04-10-2014 से दिनांक 25-10-2014 तक कुल 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री अग्रवाल के अवकाश अवधि में श्री व्ही. एस. लकड़ा, महाप्रबंधक-1, संघ मुख्यालय, रायपुर द्वारा कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, कार्यकारी संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-15/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती अनिता नन्दी, तत्कालीन क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम, रायपुर को दिनांक 03-03-2014 से 14-03-2014 तक कुल 12 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नन्दी, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती नन्दी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नन्दी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-10/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एस. गौतम (भापुसे-1999) उप पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 10-09-2014 से 19-09-2014 (10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21-09-2014 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गौतम, आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गौतम, को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. गौतम (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्रमांक 7148/1969/21-ब/2014.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री रेव्ह. एन. एस. नायंक, जीजस सेंटर चर्च, आकाश नगर, जगदलपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 7148/1969/21-B/2014.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Shri Rev. N. S. Nayak, Jejus Center Church, Akash Nagar Jagdalpur for District Jagdalpur of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage ; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक 7316/2727/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त श्री हरिनारायण गुप्ता, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला-सूरजपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 19-10-2012 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर

संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुर ार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाल व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अद ायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम स े तथा आदेशानुसार,
सुषमा स ावंत, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 3-26/2014/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप स संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम ( ) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित क ा है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षे ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला बलरामपुर, थाना करौंधा	थाना-कुसमी	करौंधा	29
		तहसील-कुसमी	प्रेमनगर	30
		जिला बलरामपुर	खजूरी	29
			सुरबेना	28
			कमलापुर	28
			जवाहर नगर	27
			हंसपुर	30
			भगवानपुर	26
			पाकरडीह	30
			देवरी	15
			श्रीकोट	27
			मतगुरी	26
			धनेशपुर	26
			सोनपुर	26
			नवगई	25
			परसा	25
			पड़िप्पा	25
	जिला कांकेर, थाना-गोण्डाहूर	थाना-पखांजूर	गोण्डाहूर	01
		तहसील-पखांजूर	ढोरकट्टा	01
		जिला कांकेर	पी. व्ही. 16	02
			पी. व्ही. 17	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			हांकेर	02
			पी. व्ही. 18	03
			पी. व्ही. 49	01
			पी. व्ही. 50	01
			पी. व्ही. 51	01
			पी. व्ही. 127	04
			पी. व्ही. 132	09
			पी. व्ही. 133	02
			पी. व्ही. 54	01
			पी. व्ही. 48	01
			पी. व्ही. 47	01
			पी. व्ही. 113	02
			पी. व्ही. 53	01
			पी. व्ही. 19	03
			पी. व्ही. 20	03
			पी. व्ही. 52	01
			छिन्दपरस	-
			कुरुषबोड़ी	01
			मुरझर	02
			हिन्दफरसी	01

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्रमांक/एफ-20-09/2013/25-2.—विभाग के आदेश क्रमांक/987/25-3/2008/आजावि, दिनांक 07 फरवरी 2008 द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधानानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय आदेश क्र./1183/25-3/2008, दिनांक 14-02-2008 एवं आदेश क्रमांक/एफ-10-11/25-2/2008, दिनांक 29-12-2012 द्वारा मनोनित सदस्यों के आदेश को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9(छ) के प्रावधानानुसार माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद् द्वारा मनोनीत जनजातीय सलाहकार परिषद् के निम्नांकित 03 अनुसूचित जनजाति सदस्यों को विभाग के आदेश दिनांक 07 फरवरी 2008 के अनुक्रमांक-7 के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति का "सदस्य" मनोनित करता है—

(1) श्री दिनेश कश्यप, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा बस्तर — सदस्य
(2) श्री गोवर्धन सिंह मांझी, माननीय विधान सभा सदस्य, बिन्द्रानवागढ़ — सदस्य
(3) श्री राज शरण भगत, माननीय विधान सभा सदस्य, जशपुर — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 02 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 03-11/2014-10-1/वन.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 198/4967/2011/10-1/वन दिनांक 28-01-2014 द्वारा श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर को तात्कालिक रूप से प्रमुख सचिव, वन की हैसियत से "अध्यक्ष" छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर का प्रभार सौंपा गया था.

2. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए वर्तमान में पदस्थ श्री आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर को तात्कालिक रूप से "अध्यक्ष" छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 04 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 3-1/2014/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 (एक-अ) के अनुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के कार्य परिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 5538/वि.स./विधान/2014 दिनांक 15-5-2014 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान मण्डल के निम्नलिखित मान. सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री बद्रीधर दीवान, 31 बेलतरा	किला वार्ड, जूना बिलासपुर छ.ग.
2.	श्री लखन देवांगन, 22 कटघोरा	नया कोहड़िया चारपारा, तह. जिला-कोरबा छ.ग.
3.	श्री रोशन लाल, 16 रायगढ़	74 किरोड़ीमल कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग.
4.	श्री मोतीलाल देवांगन, 34 जांजगीर-चांपा	देवांगन मोहल्ला, संतोषी मंदिर के पास, चांपा, पो.आ. चांपा जि.-जांजगीर-चांपा छ.ग.
5.	श्री दिलीप लहरिया, 32 मस्तूरी	ग्राम धनगंवा, पो. ओखर, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर छ.ग.

मान. सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 (2) में दिये गये प्रावधानानुसार तीन वर्ष का होगा.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 3-7/2014/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 22 (1) (तीन) के प्रावधानानुसार कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 5536/वि.स./विधान./2014 दिनांक 15-5-2014 एवं पत्र क्रमांक 5898/वि.स./विधान/2014, दिनांक 27-5-2014 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित मान. सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री अवधेश सिंह चंदेल, 69 बेमेतरा	ग्राम-रेवे, पो. पतोरा, तह. बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)
2.	श्री धनेन्द्र साहू, 53 अभनपुर	ग्राम तोरला, पोस्ट भुरका, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
3.	श्री देवजी पटेल, 47-धरसींवा	सरस्वती सॉ मिल, फाफाडीह रायपुर

मान. सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 22(2) में दिये गये प्रावधानानुसार दो वर्ष का होगा.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 3-9/2014/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23(एक-अ) के अनुसार सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 5556/वि.स./विधान./2014 दिनांक 16-5-2014 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान मण्डल के निम्नलिखित मान. सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री श्यामबिहारी जायसवाल, 2-मनेन्द्रगढ़	ग्राम-रतनपुर, पो.-तामडांड, तहसील-खड़गवां, जिला-को[illegible]
2.	श्री शिवशंकर पैकरा, 14-पत्थलगांव	ग्राम बनगांव (बी), पो.-शेखरपुर, तह.-पत्थलगांव, जिला-जशपुर
3.	श्री राजशरण भगत, 12-जशपुर	वार्ड क्र.-11, बालाजी वार्ड (दरबारीटोली) जशपुर
4.	श्री टी.एस.सिंहदेव, 10-अंबिकापुर	कोठीघर अस्पताल रोड अंबिकापुर, सरगुजा
5.	श्री बृहस्पत सिंह, 7-रामानुजगंज	ग्राम धनगवां, पो.-ओखर, जेलरोड, पो.-थाना व तह.-रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर.

मान. सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 (2) में दिये गये प्रावधानानुसार तीन वर्ष का होगा.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 9-5/2014/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमांक 12 सन् 2005 की धारा 22(1)(ix) के प्रावधानानुसार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 5833/वि.स./विधान/2014 दिनांक 15-5-2014 एवं पत्र क्रमांक 5898/वि.स./विधान/2014 दिनांक 26-5-2014 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान मण्डल के निम्नलिखित मान. सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्रीमती सरोजनी बंजारे, 74-डोंगरगढ़	ग्राम-बरबसपुर, पोस्ट-उपरवाह, तहसील व जिला-राजनांदगांव
2.	श्री आशोक साहू, 72-कवर्धा	गुरू गोविंद सिंह मार्ग, कवर्धा, पोस्ट व तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम
3.	श्री तोखन साहू, 26-लोरमी	ग्राम-डिंडोरी, पो.आ.-छटन, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली
4.	श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, 78-मोहला-मानपुर.	ग्राम-सिंघाभेड़ी, पोस्ट-आमाटोला, तहसील-चौकी, जिला-राजनांदगांव

मान. सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2005 की धारा 22 (2) में दिये गये प्रावधानानुसार तीन वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-38/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बसना निवेश क्षेत्र, जिला महासमुन्द का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

बसना निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खेमड़ा, गेर्राभाठा, बरगांव एवं भठोरी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम भठोरी, पदरडीह, बिटांगीपाली, पण्डरापाट, छोटे टेमरी, बड़े टेमरी एवं गढ़पटनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम गढ़पटनी, बंसुला एवं अरेकेल ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अरेकेल एवं खेमड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-39/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए तुमगांव निवेश क्षेत्र, जिला महासमुंद का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

तुमगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भोरिंग, बेन्द्रीडीह एवं कौआझर ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कौआझर, आमाकला, बनसिवनी, सोरीद एवं चोरभट्टी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चोरभट्टी, नवापारा, परसदा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम परसदा, कौदकेरा, गोपालपुर, अमावश एवं भोरिंग ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-40/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दोरनापाल निवेश क्षेत्र, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

दोरनापाल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम देवरपल्ली, नागलगुन्डा एवं कामापेदागुड़ा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कामापेदागुड़ा, दोरनापाल एवं पेन्टा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पेन्टा एवं मेड़वाही उर्फ तोंगगुड़ा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मेड़वाही उर्फ तोंगगुड़ा एवं देवरपल्ली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-41/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोण्टा निवेश क्षेत्र, जिला सुकमा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

कोण्टा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम फंदीगुड़ा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम फंदीगुड़ा, ढोंडरा, बोजरायगुड़ा, वेंकटापुरम एवं कोण्टा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कोण्टा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कोण्टा, चिन्ताकोन्टा, बोजरायगुड़ा, सुनमगुड़ा एवं फंदीगुड़ा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-42/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए घरघोड़ा निवेश क्षेत्र, जिला रायगढ़ का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

घरघोड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम छीरभौना, टेरम एवं कोगनारा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम कोगनारा, कन्सैया, घरघोड़ा एवं नवापारा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम नवापारा एवं घरघोड़ा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम घरघोड़ा, कन्चनपुर एवं छीरभौना ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-43/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरिया निवेश क्षेत्र, जिला रायगढ़ का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

सरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम लिपती, नदीगांव एवं सुरसी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम सुरसी, भठली, पुजेरीपाली एवं भुलूमुड़ा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम भुलूमुड़ा, कंचनपुर, कान्दूलपाली एवं पंचधार ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम पंचधार, नवापारा छोटे एवं लिपती ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-44/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लैलुंगा निवेश क्षेत्र, जिला रायगढ़ का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

लैलुंगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम भेलवाटोली, खम्हार एवं जामबहार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम जामबहार, रूडूकेला, पकरगांव, लैलुंगा एवं कुंजेरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कुंजेरा एवं अंगेकेला ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम अंगेकेला, कुंजेरा, लैलुंगा, झरन, खम्हार एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-45/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बरमकेला निवेश क्षेत्र, जिला रायगढ़ का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

बरमकेला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम चनामुड़ा, खरवानी एवं झनकपुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम झनकपुर एवं बुदेली ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बुदेली, खिचरी एवं लिंजीर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम लिंजीर, रोहिनपाली एवं चनामुड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-46/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पुसौर निवेश क्षेत्र, जिला रायगढ़ का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

पुसौर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम झारमुड़ा एवं औरदा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम औरदा, दाऊभठली, धुरनपाली, कोसमंदा, बाघाडूला, गुडु एवं ओंडेकेरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम ओंडेकेरा, सराईपाली, केसापाली एवं गोतमा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम गोतमा, लंकापाली, छींच, तड़ोला एवं झारमुड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-30/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 29-4-2014 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरणं प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डूमरतराई प.ह.नं. 00038	06	21.66 एकड़ में से 3.50 एकड़	आमोद-प्रमोद	आवासीय

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजना के प्रयोजन हेतु.
3. प्रश्नाधीन भूमि 3.50 एकड़ में से 01.00 एकड़ खुली भूमि रखी जाये.
4. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.
5. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-07/2013/स.क./26.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़, समाज कल्याण (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ समाज कल्याण (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची-एक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

4. **आरक्षण.**—

(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए, पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगी.

5. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

7. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		भाग-एक मुख्यालय				
1.	दफ्तरी	01	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1400	संचालक, समाज कल्याण
2.	भृत्य	12	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
	योग	**13**				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	भाग-दो जिला स्तरीय					
1.	समूह परिचारक	11	चतुर्थ वर्ग	5200-20200	1800	संचालक, समाज कल्याण
2.	भृत्य (जिला मुख्यालय)	85	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
	भृत्य (संस्थाएं)	49				
3.	केयर टेकर	19	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
4.	वाहन स्वच्छक	08	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
5.	मैसेन्जर	01	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
6.	चौकीदार	50	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
7.	रसोईया	37	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
8.	हेल्पर	03	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
9.	आया	24	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
10.	अंगरक्षक	05	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
11.	माली	07	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
12.	स्वच्छक	22	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
13.	स्वीपर	23	चतुर्थ वर्ग	4750-7440	1300	—तदैव—
	योग	**344**				
	कुल योग	**357**				

अनुसूची-दो

(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		भाग-एक, मुख्यालय			
1.	समाज कल्याण विभाग	दफ्तरी	1	-	100%
2.		भृत्य	12	100%	-
		योग	**13**		
		भाग-दो, जिला स्तर			
1.	समाज कल्याण विभाग	समूह परिचारक	11	100%	-
2.		भृत्य (जिला मुख्यालय)	85	100%	-
		भृत्य (संस्थाएं)	49	100%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.		केयर टेकर	19	100%	-
4.		वाहन स्वच्छक	08	100%	-
5.		मैसेन्जर	01	100%	-
6.		चौकीदार	50	100%	-
7.		रसोईया	37	100%	-
8.		हेल्पर	03	100%	-
9.		आया	24	100%	-
10.		अंगरक्षक	05	100%	-
11.		माली	07	100%	-
12.		स्वच्छक	22	100%	-
13.		स्वीपर	23	100%	-
		योग	**344**		
		कुल योग	**357**		

अनुसूची-तीन

(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह परिचारक	18	30	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
2.	भृत्य (जिला मुख्यालय)	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
	भृत्य (संस्थाएं)	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
3.	केयर टेकर	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
4.	वाहन स्वच्छक	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
5.	मैसेन्जर	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
6.	चौकीदार	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
7.	रसोईया	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
8.	हेल्पर	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
9.	आया	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
10.	अंगरक्षक	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
11.	माली	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
12.	स्वच्छक	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
13.	स्वीपर	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	

टीप :— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी.

अनुसूची-चार
(नियम 3 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समाज कल्याण	भृत्य (संचालनालय)	दफ्तरी	05 वर्ष	(क) मुख्यालय हेतु— 1. संयुक्त संचालक (प्रशा.)—अध्यक्ष 2. उप संचालक (प्रशा.) —सदस्य 3. संचालक द्वारा नामांकित —सदस्य अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के प्रतिनिधि. (ख) जिला स्तर के लिए— 1. संयुक्त/उप संचालक — अध्यक्ष 2. संस्था का प्रभारी अधिकारी — सदस्य 3. पंचायत एवं समाज शिक्षा — सदस्य संगठक या परिवीक्षा अधिकारी.	वरिष्ठता सह उपयुक्तता

Raipur, the 7th July 2014

No. F 1-07/2013/SW/26.— In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Social Welfare (Class IV) Services, namely:

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Social Welfare (Class IV) Service Recruitment Rules, 2014.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.** — These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule – I as appended to these rules.

3. **Classification and scale of pay etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedules appended to these Rules:

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

4. **Reservation.—**
   (1) Reservation for the post of direct recruitment, shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997

5. **Saving.**— Nothing contained in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, disabled persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

6. **Relaxation.**— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than as provided in these rules.

7. **Repeal.**—All rules, corresponding to these rules, in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered be these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DINESH SHRIVASTAV, Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-3)

S. No. (1)	Name of the Posts included in the Service (2)	Total Number of duty posts (3)	Classification (4)	Pay Scale (5)	Grade Pay (6)	Appointment Authority (7)
		Part-I Headquarter				
1.	Daftri	01	Class-IV	4750-7440	1400	Director, Social Welfare
2.	Peon	12	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
	Total	**13**				
		Part-II District Level (Clerical Service Class)				
1.	Samuh Paricharak	11	Class-IV	5200-20200	1800	—do—
2.	Peon (District Headquarter)	85	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
	Peon (Institutions)	49	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
3.	Care Taker	19	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
4.	Vehicle Cleaner	08	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
5.	Messenger	01	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
6.	Watchman	50	Class-IV	4750-7440	1300	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Cook	37	Class-IV	4750-7440	1300	Director, Social Welfare
8.	Helper	03	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
9.	Aaya	24	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
10.	Angrakshak	05	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
11.	Maali	07	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
12.	Swachhak	22	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
13.	Sweeper	23	Class-IV	4750-7440	1300	—do—
	Total	**344**				
	Grand Total	**357**				

SCHEDULE-II
(See Rule-3)

S. No.	Name of Department	Name of Post or Service	No. of Posts	% of Number of Posts to be filled	
				By Direct Recruitment	By Promotion of Members of Service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Part-I Headquarter		
1.	Social Welfare	Daftri	01	-	100%
2.		Peon	12	100%	-
		Total	**13**		
			Part-II District Level		
1.	Social Welfare	Samuh Paricharak	11	100%	-
2.		Peon (District Headquarter)	85	100%	-
		Peon (Institutions)	49	100%	-
3.		Care Taker	19	100%	-
4.		Vehicle Cleaner	08	100%	-
5.		Massenger	01	100%	-
6.		Watchman	50	100%	-
7.		Cook	37	100%	-
8.		Halper	03	100%	-
9.		Aaya	24	100%	-
10.		Angrakshak	05	100%	-
11.		Maali	07	100%	-
12.		Swachhak	22	100%	-
13.		Sweeper	23	100%	-
		Total	**344**		
		Grand Total	**357**		

SCHEDULE-III
(See Rule-3)

S. No. (1)	Name of the Post or Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational Qualification (5)	Remarks (6)
1.	Samuh Paricharak	18 years	30 years	Must have passed 8th Examination	
2.	Peon (District Headquarter)	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
-	Peon (Institutions)	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
3.	Care Taker	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
4.	Vehicle Cleaner	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
5.	Massenger	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
6.	Watchman	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
7.	Cook	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
8.	Helper	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
9.	Aaya	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
10.	Angrakshak	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
11.	Maali	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
12.	Swachhak	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	
13.	Sweeper	—do—	—do—	Must have passed 8th Examination	

Note :—The upper age limit shall be relaxable for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See Rule 3)

Name of the Department (1)	Name of the Post from which promotion is to be made (2)	Name of the post on which promotion to be made (3)	Minumum service for promotion (4)	Member of Departmental promotion committee (5)	Remarks (6)
Sockal Welfare	Peon (Directred)	Daftri	5 years	**(A) For headquarters—** 1. Joint Director (Admn) — Chairman 2. Deputy Director (Admn) — Member 3. Representative of SC/ST/OBC nominated by director. — Member	Seniory Subject to Fitness

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(B) District Lavel— 1. Joint/Deputy Director — Chairman 2. Officer incharge institution. — Member 3. Panchayat and Social Education Orgniser or Probation Officer. — Member	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-नंदेली, प.ह.नं.-36, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.491 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 23-11-2012 तथा दिनांक 19-04-2013 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.008 हे. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण:—

ग्राम-नंदेली

	खसरा नं. (1)		रकबा (2)
	13		0.008
कुल खसरा	1	**कुल रकबा**	**0.008**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्रमांक/626/प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-भटगांव, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
548	0.16
597	0.09
600	0.05
553	0.06
554	0.06
555	0.16
556	0.03
557	0.06
558	0.06
561	0.05
562	0.13
563	0.16
564	0.07
567	0.15
568	0.13
569	0.07
570	0.04
559	0.07
560	0.13
571/1	0.05
572/1	0.06
601	0.06
573	0.01
571/2	0.06
572/2	0.05
574	0.07
603	0.02
605/1	0.06
598	0.07
602/1	0.06
602/2	0.12
552	0.14
605/2	0.11
605/3	0.11
605/4	0.11
605/5	0.11
605/6	0.04
605/7	0.10
604	0.09
608	0.20
योग 40	3.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आ[illegible]श्यकता है-भटगांव में जलाशय योजना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्ष[illegible] भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता [illegible].

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम [illegible] तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस, कलेक[illegible] एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायग[illegible], छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीस[illegible]ढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 अगस्त [illegible]014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/[illegible]013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है [illegible] नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची [illegible] पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक[illegible] है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894[illegible] की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उ[illegible] भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़तराई, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197	0.028
209	0.008
218/1	0.004
214/2	0.004
212/1	0.008
206/1	0.008
211	0.008
218/2, 220/3	0.004
213/1	0.004
212/2	0.004
208	0.022
219/1	0.008
218/4	0.008
213/2	0.004
206/2	0.004
210	0.012
219/2	0.032
214/1	0.008
213/3	0.008
योग 19	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सह भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2014

क्रमांक 09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-कुलीपोटा, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
390/1	0.18
390/14	0.03
390/15	0.03
391/1	0.03
390/5	0.02
योग 5	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हावड़ा-मुम्बई रेल मार्ग के कि.मी. 672/11-18 खोखसा लेवल क्रॉसिंग में बिलासपुर-रायगढ़ के मध्य रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्रमांक 08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-खोखसा, प.ह.नं. 48

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	2949/1, 2950/1, 2951/1क	0.05
	2949/3, 2950/2, 2951/1ग	0.03
	2949/4, 2950/3, 2951/घ	0.03
	2594/12	0.16
	2594/1/ध	0.01
	2594/1/ङ	0.01
	2594/1च	0.04
	2594/17	0.04
	2594/1/क	0.02
	2594/16	0.03
योग	10	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हावड़ा-मुम्बई रेल मार्ग के कि.मी. 672/11-18 खोखसा लेवल क्रॉसिंग में बिलासपुर-रायगढ़ के मध्य रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक 10879.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.415 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	79	0.089
	123/1	0.040
	123/3	0.049
	131/6	0.053
	131/7	0.040
	132/3	0.016
	134	0.040
	135	0.061
	136	0.045
	137	0.024
	138/1	0.028
	145	0.024
	146	0.016
	147/3	0.040
	147/4	0.040
	158	0.069
	159	0.073
	164	0.024
	165	0.024
	166	0.008
	167	0.008
	168	0.008
	169/1	0.012
	169/2	0.024
	169/3	0.024
	169/4	0.012
	170/2	0.032
	170/3	0.032
	171	0.032
	173	0.032
	174	0.036
	175	0.073
	246	0.061
	264/1	0.045
	264/2	0.040
	264/3	0.020
	265	0.121
योग	37	1.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (रा). पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक 10887.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-हड़हा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.285 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	404	0.008
	413/1, 415/1	0.016
	413/2, 415/2	0.016
	417/1	0.008
	417/2	0.008
	421	0.061
	422	0.061
	423/1	0.036
	423/2	0.032
	425	0.049
	426/1	0.049
	426/2	0.020
	426/3, 436	0.049
	426/4	0.020
	426/5	0.020
	427	0.129
	433	0.016
	434	0.016
	435/1, 445/1	0.053
	435/2, 445/3	0.032
	435/3, 445/4	0.061
	437	0.024
	438	0.016
	444/1	0.016
	444/2	0.008
	445/2	0.053
	489/1	0.081
	489/2	0.020
	506	0.206
	513	0.101
योग	30	1.285

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (रा), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक 10889.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तनौद, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.584 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1598/3	0.036
1598/6	0.016
1599/2	0.016
1609	0.020
1610	0.020
1611	0.016
1612/1	0.008
1612/2	0.008
1613	0.016
1614/2	0.016

(1)	(2)
1616	0.157
1620/1	0.028
1620/2	0.024
1622	0.008
1628, 1629, 1630	0.085
1631/2, 1632/1	0.077
1634/3	0.153
1634/4	0.008
1634/5	0.012
1634/6	0.008
1634/8	0.040
1634/9	0.020
1634/10	0.020
1757/1	0.206
1757/2	0.405
1758	1.003
1770/1	0.081
1770/2	0.077
योग 28	2.584

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (रा), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कलेक्टर, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)

बीजापुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक/75/पंचायत/स्था. निर्वा./2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-22- पं.-02, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 03/धारा 129 ख (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला बीजापुर के कलेक्टर द्वारा संलग्न सारणी (जिसे इसके पश्चात् "सारणी" कहा गया है) के स्तंभ (4) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (5) में दर्शायी गई है, सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित नाम से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा. इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

मोहम्मद कैसर अब्दुलहक,
कलेक्टर.

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गॉव/गॉवों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
बीजापुर	1	एरमनार	कोमला	318	40
बीजापुर	–"–		कुएनार	452	40
बीजापुर	–"–		एरमनार	1535	40
		योग :–		**2305**	
बीजापुर	2	धनोरा	धनोरा	1586	43
		योग :–		**1586**	
बीजापुर	3	ईटपाल	मांझीगुड़ा	404	44
बीजापुर	–"–		ईटपाल	865	44
बीजापुर	–"–		जैतालूर	575	44
		योग :–		**1844**	
बीजापुर	4	बोरजे	बोरजे	987	44
बीजापुर	–"–		कोत्तापाल	480	44
		योग :–		**1467**	
बीजापुर	5	बुरजी	छोटेहिरोली	71	30
बीजापुर	–"–		नैनपाल	28	30
बीजापुर	–"–		बुरजी	188	30
बीजापुर	–"–		कुरूष	144	30
बीजापुर	–"–		मल्लूर	239	30
बीजापुर	–"–		कावड़गांव	175	30
बीजापुर	–"–		डुमीरपालनार	180	30
बीजापुर	–"–		एडा़समेटा	220	30
		योग :–		**1245**	
बीजापुर	6	कमकानार	चिन्नाजोजेर	219	28
बीजापुर	–"–		कमकानार	639	28
		योग :–		**858**	
बीजापुर	7	कान्दुलनार	आदेड़	91	45
बीजापुर	–"–		कान्दुलनार	663	45
बीजापुर	–"–		गुड्डीपाल	343	45
		योग :–		**1097**	
बी[illegible]र	8	कडेनार	भोगामुगुडा़	152	34
बीजापुर	–"–		चेरकन्नटी	384	34
बीजापुर	–"–		कड़ेनार	442	34
		योग :–		**978**	

1	2	3	4	5	6
बीजापुर	9	कडेर	कडेर	440	36
बीजापुर	–"–		दुरधा	214	36
बीजापुर	–"–		जपेली	430	36
योग :–				1084	
बीजापुर	10	कैका	घुमरा	292	36
बीजापुर	–"–		गुण्डापुर	118	36
बीजापुर	–"–		कचिलवार	209	36
बीजापुर	–"–		मोसला	246	36
बीजापुर	–"–		कैका	209	36
योग :–				1074	
बीजापुर	11	मोरमेड	चिन्तनपल्ली	506	41
बीजापुर	–"–		आदेड़	171	41
बीजापुर	–"–		गुज्जाकोन्टा	211	41
बीजापुर	–"–		मोरमेड़	520	41
योग :–				1408	
बीजापुर	12	मुसालूर	तुरनार	477	43
बीजापुर	–"–		नुकनपाल	143	43
बीजापुर	–"–		मुसालूर	621	43
योग :–				1241	
बीजापुर	13	मेटापाल	मेटापाल	583	28
बीजापुर	–"–		मर्रीवाडा	138	28
बीजापुर	–"–		हिरोली	176	30
योग :–				897	
बीजापुर	14	मनकेली	इसुलनार	344	35
बीजापुर	–"–		गोरना	209	35
बीजापुर	–"–		मनकेली	496	35
योग :–				1049	
बीजापुर	15	मिडते	मातला	45	42
बीजापुर	–"–		इतुलनार	25	42
बीजापुर	–"–		काकड़मेटा	84	42
बीजापुर	–"–		कचलारम	416	42
बीजापुर	–"–		दुपेली	211	42
बीजापुर	–"–		मिड़ते	349	42
योग :–				1130	
बीजापुर	16	पीडिया	पिडीया	778	32
योग :–				778	

1	2	3	4	5	6
बीजापुर	17	चिन्नाकवाली	पेद्दाकवाली	224	45
बीजापुर	–"–		रालापाल	124	45
बीजापुर	–"–		चिन्नाकवाली	442	45
बीजापुर	–"–		चिन्नाकोडेपाल	411	45
योग :–				1201	
बीजापुर	18	पापनपाल	पापनपाल	1583	42
योग :–				1583	
बीजापुर	19	पालनार	पालनार	514	33
योग :–				514	
बीजापुर	20	पदमूर	जारगोया	188	29
बीजापुर	–"–		पदमूर	445	29
बीजापुर	–"–		पेद्दाजोजेर	725	29
योग :–				1358	
बीजापुर	21	पदेडा	पदेडा	185	34
योग :–				185	
बीजापुर	22	पुसनार	पुसनार	849	27
योग :–				849	
बीजापुर	23	पेदकोरमा	बोड़ला पुसनार	166	35
बीजापुर	–"–		मुनगा	352	35
बीजापुर	–"–		पेदाकोरमा	484	35
बीजापुर	–"–		काकेकोरमा	341	35
योग :–				1343	
बीजापुर	24	पेदाकोडेपाल	पेदाकोडेपाल	1098	38
बीजापुर	–"–		कोयाईटपाल	784	38
योग :–				1882	
बीजापुर	25	रेड्डी	रेड्डी	569	29
बीजापुर	–"–		कोटेर	610	29
योग :–				1179	
बीजापुर	26	संतषपुर	संतषपुर	540	37
बीजापुर	–"–		पामलवाया	50	37
बीजापुर	–"–		पोजेरं	203	37
बीजापुर	–"–		चिलनार	174	37
बीजापुर	–"–		सागवाही	0	37
बीजापुर	–'–		भोषगुडा	0	37
योग :–				967	

1	2	3	4	5	6
बीजापुर	27	डोडीतुमनार	तामोडी	479	31
बीजापुर	–"–		डोडीतुमनार	559	31
बीजापुर	–"–		मिरगानघोटुल	362	31
योग :–				**1400**	
बीजापुर	28	दुगोली	दुगोली	1280	40
योग :–				**1280**	
बीजापुर	29	चेरपाल	चेरपाल	1478	33
योग :–				**1478**	
बीजापुर	30	तोयनार	तोयनार	2188	41
योग :–				**2188**	
बीजापुर	31	तोडका	कोरचोली	336	32
बीजापुर	–"–		तोडका	276	32
बीजापुर	–"–		सांवनार	679	32
बीजापुर	–"–		नेन्ड्रा	228	32
बीजापुर	–"–		इडेनार	65	32
योग :–				**1584**	
बीजापुर	32	तुमनार	तुमनार	1595	37
योग :–				**1595**	
बीजापुर	33	नैमेड	नैमेड़	2866	38
योग :–				**2866**	
बीजापुर	34	गंगालूर	गंगालूर	5454	30
योग :–				**5454**	
बीजापुर	35	गमपुर	अन्ड्री	304	31
बीजापुर	–"–		गमपुर	378	31
बीजापुर	–"–		कुएम	146	31
योग :–				**828**	
बीजापुर	36	गोंगला	गोंगला	245	27
बीजापुर	–"–		चोखनपाल	299	27
योग :–				**544**	
कुल योग (36 ग्राम पंचायत) :–				**50319**	

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	1	दरभा	दरभा (वनग्राम)	872	6
भैरमगढ़	–"–		बेचरम	249	6
		योग :–		**1121**	
भैरमगढ़	2	केतुलनार	केतुलनार	1258	7
		योग :–		**1258**	
भैरमगढ़	3	अडावली	अडावली	303	7
भैरमगढ़	–"–		पोनोडवाया	224	7
भैरमगढ़	–"–		मण्डीमरका	187	7
भैरमगढ़	–"–		ताडमेर	322	7
		योग :–		**1036**	
भैरमगढ़	4	जैगुर	जैगुर	1517	6
		योग :–		**1517**	
भैरमगढ़	5	गुदमा	गुदमा	923	8
भैरमगढ़	–"–		तुमला	422	8
		योग :–		**1345**	
भैरमगढ़	6	सकनापल्ली	सकनापल्ली	681	9
भैरमगढ़	–"–		पिन्डूमपाल	282	9
भैरमगढ़	–"–		झाड़ीगुटा	375	9
		योग :–		**1338**	
भैरमगढ़	7	कोमपल्ली	कोमपल्ली	501	8
भैरमगढ़	–"–		केतनपाल	380	8
भैरमगढ़	–"–		एरामंगी (वनग्राम)	329	8
		योग :–		**1210**	
भैरमगढ़	8	पेठा	पेठा	492	5
भैरमगढ़	–"–		तेलीठेकला	63	6
भैरमगढ़	–"–		मुर्री	128	6
भैरमगढ़	–"–		गुडरा	310	6
भैरमगढ़	–"–		डोडुम	113	6
भैरमगढ़	–"–		कोडका	35	6
भैरमगढ़	–"–		इदवाड़ा	116	6
भैरमगढ़	–"–		गुटामंगी	29	6

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	—"—	पेठा	पुसलंका	141	6
भैरमगढ़	—"—		मुर्रीपाल (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		बेडटेकमेरा (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		हुरैबेड़ा (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		चिन्नादेवी (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		जपेली (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		हिन्दवाया (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		मीकल (विरान)		
		योग :—		**1427**	
भैरमगढ़	9	कुटरू	कुटरू	2389	5
		योग :—		**2389**	
भैरमगढ़	10	अम्बेली	अम्बेली	661	5
भैरमगढ़	—"—		टुंगेली	361	5
भैरमगढ़	—"—		आकलंका	251	5
		योग :—		**1273**	
भैरमगढ़	11	करकेली	करकेली	838	3
भैरमगढ़	—"—		ओडसनपोरंका	65	3
भैरमगढ़	—"—		कोडेपल्ली	99	3
भैरमगढ़	—"—		एडकापल्ली	230	3
भैरमगढ़	—"—		कोपरेल (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		चिंताटोकामेटा	61	3
भैरमगढ़	—"—		पोनोड़वाया (विरान)		
		योग :—		**1293**	
भैरमगढ़	12	उसकापटनम	उसकापटनम	122	4
भैरमगढ़	—"—		जारवा	66	3
भैरमगढ़	—"—		मुसली	48	3
भैरमगढ़	—"—		बीराभट्टी	197	4
भैरमगढ़	—"—		छोटेबोदली	115	4
भैरमगढ़	—"—		जारामरका	291	4
भैरमगढ़	—"—		वन्देपरे	297	4
		योग :—		**1136**	
भैरमगढ़	13	हुर्रागुवाली	हुर्रागुवाली	175	4
भैरमगढ़	—"—		हिंगमेटा	234	4
भैरमगढ़	—"—		कोण्डे	177	4
भैरमगढ़	—"—		टेकलानुगूर	24	4
भैरमगढ़	—"—		नुगुर	262	4
भैरमगढ़	—"—		मेड़वाया (विरान)		

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	–"–		कुम्हारमेटा	103	4
भैरमगढ़	–"–		मुचलेर (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		ओमेरा (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		उईकल (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		आदेड़ (विरान)		
योग :–				975	
भैरमगढ़	14	बेदरे	बेदरे	958	3
भैरमगढ़	–"–		वायानार	101	3
भैरमगढ़	–"–		नयातुमीरगुण्डा	57	3
भैरमगढ़	–"–		मादेपुर	110	3
भैरमगढ़	–"–		कुंगलेर	118	3
भैरमगढ़	–"–		मादपुरतुर्री	63	3
भैरमगढ़	–"–		मज्जीमेंडी	52	3
भैरमगढ़	–"–		मैड़पल्ली (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		आदेरू (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		ओवरतांग (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		गोडमेटा	229	17
भैरमगढ़	–"–		ओमरा (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		मोडगुड्डम (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कातुर (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कुपरैल (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		पोवारम (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		बीका (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कुंबाड़ी (विरान)		
योग :–				1688	
भैरमगढ़	15	फरसेगढ़	फरसेगढ़	1406	1
भैरमगढ़	–"–		एडसगांदी	29	1
भैरमगढ़	–"–		छोटेआलवाड़ा	168	1
योग :–				1603	
भैरमगढ़	16	पैकरम	पैकरम	291	2
भैरमगढ़	–"–		मुचलेर	433	2
भैरमगढ़	–"–		गुमनेर	249	2
योग :–				973	
भैरमगढ़	17	सोमनपल्ली	सोमनपल्ली	480	2
भैरमगढ़	–"–		चटपल्ली	91	2
भैरमगढ़	–"–		कोपनजर्री	123	2
भैरमगढ़	–"–		मुकरम	86	2
भैरमगढ़	–"–		भटपल्ली	109	2
योग :–				889	

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	18	सागमेटा	सागमेटा	319	1
भैरमगढ़	—"—		दामारम	80	1
भैरमगढ़	—"—		कर्रेमरका	84	1
भैरमगढ़	—"—		एलीगांडरा	60	1
भैरमगढ़	—"—		मुकाबेली	76	1
भैरमगढ़	—"—		डोक्के	80	1
भैरमगढ़	—"—		सालेपल्ली	11	1
भैरमगढ़	—"—		रेंगावाया	92	1
भैरमगढ़	—"—		मर्रीमडगू	154	1
भैरमगढ़	—"—		बडेआलवाडा	25	1
भैरमगढ़	—"—		ताडमेण्ड्री	178	1
भैरमगढ़	—"—		बड़ेगुडम (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		झाड़ीगुट्टा (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		पालदेवी (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		गुट्टामरका (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		कुसूमबेली (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		मरलम (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		गुमनेर (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		डाकातुरी (विरान)		
योग :—				**1159**	
भैरमगढ़	19	ताकिलोड	ताकिलोड	257	17
योग :—				**257**	
भैरमगढ़	20	मरामेटा	मरामेटा	160	17
भैरमगढ़	—"—		ताडवाड़ा	67	17
भैरमगढ़	—"—		किसकल	153	17
भैरमगढ़	—"—		कोलनार	256	17
भैरमगढ़	—"—		मंदिगपाल	77	17
भैरमगढ़	—"—		पड़मेटा	37	17
भैरमगढ़	—"—		हुर्रेगुंडा (विरान)		
योग :—				**750**	
भैरमगढ़	21	बैल	बैल	50	20
भैरमगढ़	—"—		ताडोपोट	97	20
भैरमगढ़	—"—		उतला	381	20
भैरमगढ़	—"—		घोटपाल	197	20
भैरमगढ़	—"—		धरमा	77	20
योग :—				**802**	
भैरमगढ़	22	चिंगेर	चिंगेर	170	21
भैरमगढ़	—"—		पल्लेवाया	311	21
भैरमगढ़	—"—		निराम	141	21
भैरमगढ़	—"—		मिदगर (विरान)		

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	–"–		सेन्दूरा (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कारागुड़ा (विरान)		
		योग :–		622	
भैरमगढ़	23	जैवारम्	जैवारम्	975	9
भैरमगढ़	–"–		बेंगला	214	9
भैरमगढ़	–"–		हितुलवाड़ा	414	9
		योग :–		1603	
भैरमगढ़	24	जांगला	जांगला	1968	14
		योग :–		1968	
भैरमगढ़	25	माटवाड़ा	माटवाड़ा	1042	12
		योग :–		1042	
भैरमगढ़	26	कोण्ड्रोजी	कोण्ड्रोजी	848	14
भैरमगढ़	–"–		तुमनार (वनग्राम)	380	14
		योग :–		1228	
भैरमगढ़	27	टिण्डोडी	टिण्डोडी (वनग्राम)	495	12
भैरमगढ़	–"–		कर्रेमरका	452	12
भैरमगढ़	–"–		धुसावड़	343	12
भैरमगढ़	–"–		बेलचर	655	12
		योग :–		1945	
भैरमगढ़	28	मंगलनार	मंगलनार	597	16
भैरमगढ़	–"–		ओडसा	162	16
भैरमगढ़	–"–		पुसनार	853	16
		योग :–		1612	
भैरमगढ़	29	बंगोली	बंगोली	278	21
भैरमगढ़	–"–		सतवा	45	21
भैरमगढ़	–"–		मरकापाल	204	21
		योग :–		527	
भैरमगढ़	30	नेंलसनार	नेंलसनार	3090	22
		योग :–		3090	
भैरमगढ़	31	पातरपारा	पातरपारा	625	10
भैरमगढ़	–"–		पोन्दुम	871	10
भैरमगढ़	–"–		पल्लेवाया (वनग्राम)	260	10
		योग :–		1756	
भैरमगढ़	32	बड़ेतुगाली	बड़ेतुगाली	176	13
भैरमगढ़	–"–		पिटेतुगाली	127	13
भैरमगढ़	–"–		छोटेगोंगला	276	13
भैरमगढ़	–"–		बरदेला (वनग्राम)	624	13
		योग :–		1203	

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	33	पोटेनार	पोटेनार इचवाडा	860	14
भैरमगढ़	–"–		तुर्रेनार	111	12
भैरमगढ़	–"–		पिडगातुगाली	35	14
		योग :–		**1006**	
भैरमगढ़	34	केशकुतुल	केशकुतुल	1049	11
		योग :–		**1049**	
भैरमगढ़	35	हल्लूर	हल्लूर	407	11
भैरमगढ़	–"–		इरमापोमरा	241	11
भैरमगढ़	–"–		हकवा	420	11
		योग :–		**1068**	
भैरमगढ़	36	पिनकोण्डा	पिनकोण्डा	1810	23
		योग :–		**1810**	
भैरमगढ़	37	तालनार	तालनार	719	24
भैरमगढ़	–"–		चिडरापाल	549	24
		योग :–		**1268**	
भैरमगढ़	38	कोडोली	कोडोली	1126	22
		योग :–		**1126**	
भैरमगढ़	39	तोयेनार	तोयेनार	199	23
भैरमगढ़	–"–		केतुलनार	387	23
भैरमगढ़	–"–		पाटलीगुड़ा	332	23
भैरमगढ़	–"–		एडमामेटा	103	23
भैरमगढ़	–"–		गुपड़ीलंका	106	23
		योग :–		**1127**	
भैरमगढ़	40	फुलगट्टा	फुलगट्टा	958	24
भैरमगढ़	–"–		पेदापाल	254	24
भैरमगढ़	–"–		डेकमेटा	54	24
भैरमगढ़	–"–		निलावाया	120	24
		योग :–		**1386**	
भैरमगढ़	41	मिरतुर	मिरतुर	1469	25
भैरमगढ़	–"–		तड़केल	503	25
		योग :–		**1972**	
भैरमगढ़	42	पिटेपाल	पिटेपाल	222	26
भैरमगढ़	–"–		चेरली	126	26
भैरमगढ़	–"–		दोरागुड़ा	101	26

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	—"—		आकेनार	76	26
भैरमगढ़	—"—		कोण्डापाल	111	26
भैरमगढ़	—"—		डुकामैटा (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		एडसपेड (विरान)		
		योग :—		**636**	
भैरमगढ़	43	मदपाल	मदपाल	256	25
भैरमगढ़	—"—		तामोड़ी	57	25
भैरमगढ़	—"—		कुडमेर	205	25
भैरमगढ़	—"—		पुलीदी	407	25
		योग :—		**925**	
भैरमगढ़	44	बेचापाल	बेचापाल	471	26
भैरमगढ़	—"—		एटेपाल	17	26
भैरमगढ़	—"—		हुर्रेपाल	140	26
भैरमगढ़	—"—		तिम्मेनार	54	26
भैरमगढ़	—"—		एण्डीनार	22	26
भैरमगढ़	—"—		पोरोवाड़ा	34	26
भैरमगढ़	—"—		जब्बे	53	26
भैरमगढ़	—"—		बारेगुड़ा (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		कोरमडौडी (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		हाण्डापारा (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		हुरैगुण्डा (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		गोटेलंग (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		हाण्डावाड़ा (विरान)		
		योग :—		**791**	
भैरमगढ़	45	तुषवाल	तुषवाल	112	18
भैरमगढ़	—"—		तोड़मा	136	18
भैरमगढ़	—"—		मटासी	27	19
भैरमगढ़	—"—		बाकेली	83	19
भैरमगढ़	—"—		बुडदुम	50	18
भैरमगढ़	—"—		इरपानार	118	19
भैरमगढ़	—"—		गोमटेर	123	19
भैरमगढ़	—"—		आदवाड़ा	108	18
भैरमगढ़	—"—		कोहकावाडा	71	18
भैरमगढ़	—"—		कुकाड़ी (विरान)		
भैरमगढ़	—"—		जारे (विरान)		

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	–"–		सहरामेटा (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		वाडीज (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कोकाचल (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कामडगु (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कोडकापाल (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		हुरैवाया (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कोहकामेटा (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		नयनार (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		आदेर (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कोरा (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		निराली (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कुमारी (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		पुसबाका (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कारीबैडा (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		पिकमुगनार (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कुफ़ारी (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		डोडुम (विरान)		
भैरमगढ़	–"–		कोण्लाजी(विरान)		
भैरमगढ़	–"–		तुर्री उर्फ कोरेवाडा (विरान)		
		योग :–		828	
भैरमगढ़	46	मंगनार	मंगनार	871	19
भैरमगढ़	–"–		गुफा	67	19
भैरमगढ़	–"–		पदनार	33	19
भैरमगढ़	–"–		बोधघाट	40	19
		योग :–		1011	
भैरमगढ़	47	कोशलनार	कोशलनार	1748	18
		योग :–		1748	
भैरमगढ़	48	बेलनार	बेलनार	1085	20
भैरमगढ़	–"–		एहकेली	21	20
		योग :–		1106	
भैरमगढ़	49	गुड़साकल	गुड़साकल	198	16
भैरमगढ़	–"–		भटवाड़ा	721	16
भैरमगढ़	–"–		चिहका	539	16
भैरमगढ़	–"–		उसपरी	122	16
		योग :–		1580	
भैरमगढ़	50	ईतामपार	ईतामपार	173	15
भैरमगढ़	–"–		दारमेड	127	15

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	–"–		बोडगा	541	15
भैरमगढ़	–"–		बडेपल्ली	351	15
भैरमगढ़	–"–		छोटेपल्ली	79	15
भैरमगढ़	–"–		झिल्ली	153	15
योग :–				**1424**	
भैरमगढ़	51	बिरियाभूमि	बिरियाभूमि	325	15
भैरमगढ़	–"–		हिंगुम	311	15
भैरमगढ़	–"–		इद्वेर	179	15
भैरमगढ़	–"–		डालेर	405	15
भैरमगढ़	–"–		जारामोंगियां	130	15
भैरमगढ़	–"–		आदवाड़ा	379	15
योग :–				**1729**	
भैरमगढ़	52	गदामली	गदामली	714	13
भैरमगढ़	–"–		मिनगाचल	176	13
भैरमगढ़	–"–		मिनगाचल(वनग्राम)	750	13
योग :–				**1640**	
भैरमगढ़	53	फुल्लोड	फुल्लोड	394	6
भैरमगढ़	–"–		छोटेपोटेनार	277	6
भैरमगढ़	–"–		कोटमेटा	455	12
भैरमगढ़	–"–		मेडपाल	114	13
योग :–				**1240**	
भैरमगढ़	54	कोतरापाल	कोतरापाल	469	12
भैरमगढ़	–"–		कोतरापाल (वनग्राम)	661	12
योग :–				**1130**	
भैरमगढ़	55	मण्डेम	मण्डेम	286	1
भैरमगढ़	–"–		कुपरेल	143	1
भैरमगढ़	–"–		कोरलापल्ली	177	2
भैरमगढ़	–"–		आडसनपल्ली	72	2
भैरमगढ़	–"–		चुनकोण्टा	148	1
योग :–				**826**	
भैरमगढ़	56	रानीबोदली	रानीबोदली	433	2
भैरमगढ़	–"–		मुरकीनार	274	2
भैरमगढ़	–"–		चिनगेर	209	2
भैरमगढ़	–"–		गट्टापल्ली	127	2
भैरमगढ़	–"–		कातुर	97	2
योग :–				**1140**	

1	2	3	4	5	6
भैरमगढ़	57	मंगापेठा	मंगापेठा	609	5
भैरमगढ़	—"—		पाताकुटरू	256	5
भैरमगढ़	—"—		परकेली	148	6
भैरमगढ़	—"—		बन्देमरका	72	5
योग :—				**1085**	
भैरमगढ़	58	बेंगलूर	बेंगलूर	440	19
भैरमगढ़	—"—		सडार	167	19
भैरमगढ़	—"—		इतालकुडु	74	19
भैरमगढ़	—"—		टुण्डेर	224	19
भैरमगढ़	—"—		कटोली	104	19
भैरमगढ़	—"—		कोयम	94	19
योग :—				**1103**	
भैरमगढ़	59	दारापाल	सुरोखी	277	22
भैरमगढ़	—"—		दारापाल	614	22
योग :—				**891**	
कुल योग (59 ग्राम पंचायत) :—				**74680**	

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
भोपालपटनम	1	केरपे	फरसनार	75	1
भोपालपटनम	—"—		दुडमे	44	
भोपालपटनम	—"—		करकावाड़ा	119	
भोपालपटनम	—"—		पेनगुण्डा	0	
भोपालपटनम	—"—		उसकामेटा	0	
भोपालपटनम	—"—		पुम्बाली (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		मुचलेर	0	
भोपालपटनम	—"—		दुर्गापारा	0	
भोपालपटनम	—"—		मोतकवाया	0	
भोपालपटनम	—"—		हल्वातुमीरगुण्डा	40	
भोपालपटनम	—"—		बड़ेइन्दूर (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		छोटेइन्दूर (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		करमे	0	
भोपालपटनम	—"—		पारागांव	0	
भोपालपटनम	—"—		गोड़नूगूर	155	
भोपालपटनम	—"—		नेतीवाड़ा	43	
भोपालपटनम	—"—		पासेवाड़ा	18	
भोपालपटनम	—"—		नेतीकाकलेर	46	
भोपालपटनम	—"—		दुड़ेपल्ली	187	
भोपालपटनम	—"—		केरपे	272	
भोपालपटनम	—"—		बोरामंगी	0	
भोपालपटनम	—"—		मरकुड़	97	
भोपालपटनम	—"—		ओडरू	29	
योग :—				**1125**	
भोपालपटनम	2	सेंन्ड्रा	फन्दीवाया	57	2
भोपालपटनम	—"—		चरेपल्ली	241	
भोपालपटनम	—"—		चिपनपल्ली	35	
भोपालपटनम	—"—		किमारबेचा (वि.)	0	
भोपालपटनम	—"—		तिमारबेचा (वि.)	0	
भोपालपटनम	—"—		सेन्ड्रा	577	
भोपालपटनम	—"—		जारागुड़ा	149	
भोपालपटनम	—"—		सलापल्ली	145	
भोपालपटनम	—"—		मंरदींगपाल (वि)	0	
योग :—				**1204**	

1	2	3	4	5	6
भोपालपटनम	3	एडापल्ली	एड़ापल्ली	454	3
भोपालपटनम	–"–		पालसेगुण्डी	145	
भोपालपटनम	–"–		गुण्डापुरी	122	
भोपालपटनम	–"–		गरतुल	92	
भोपालपटनम	–"–		कोकेरा	28	
भोपालपटनम	–"–		आरेपल्ली	175	
भोपालपटनम	–"–		इरपागुट्टा	161	
		योग :–		**1177**	
भोपालपटनम	4	बड़ेकाकलेर	पेनकुदूर	106	4
भोपालपटनम	–"–		ताड़सोड़ (वि)	0	
भोपालपटनम	–"–		कुमेर (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		गोरगुण्ड़ा (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		टेकमेटा	86	
भोपालपटनम	–"–		हीरापुरम (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		पावम (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		आरकीपाल (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		ताटीगृट्टा	0	
भोपालपटनम	–"–		छोटेकाकलेर	100	
भोपालपटनम	–"–		नागावरम (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		दुड़मे (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		बड़ेकाकलेर	270	
भोपालपटनम	–"–		फुलगुण्डम	121	
भोपालपटनम	–"–	बड़ेकाकलेर	चिन्नाबेली (विरान)	0	4
भोपालपटनम	–"–		अन्नापुर	69	
भोपालपटनम	–"–		कुनावायागुड़ा (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		मारवाडा	25	
भोपालपटनम	–"–		सफीमरका	36	
भोपालपटनम	–"–		पीलूर	105	
भोपालपटनम	–"–		बीवरी (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		कांदलापर्ती	118	
		योग :–		**1036**	
भोपालपटनम	5	बारेगुड़ा	बारेगुड़ा	711	5
भोपालपटनम	–"–		रेड्डीपल्ली	435	
भोपालपटनम	–"–		सकनापल्ली	200	
		योग :–		**1346**	
भोपालपटनम	6	वाडला	मट्टीमरका	125	
भोपालपटनम	–"–		जामका (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		मालदा (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		वाडला	187	
भोपालपटनम	–"–		दृड़मा (विरान)	0	
भोपालपटनम	–"–		गोखूर	199	
भोपालपटनम	–"–		पोलेम	266	
भोपालपटनम	–"–		पेंदलालम	90	
भोपालपटनम	–"–		कोटापल्ली	0	
भोपालपटनम	–"–		पेट्टाबोगड़ा	381	
		योग :–		**1248**	

1	2	3	4	5	6
भोपालपटनम	7	दम्मूर	दुगलमगुड़ा	309	6
भोपालपटनम	—"—		दम्मूर	434	
		योग :—		**743**	
भोपालपटनम	8	वरदली	चिल्लामरका	87	
भोपालपटनम	—"—		आलमपुट्टीगुड़ा वि.	0	
भोपालपटनम	—"—		वरदली	1322	
		योग :—		**1409**	
भोपालपटनम	9	लिंगापुर	गंगारम	234	6
भोपालपटनम	—"—		कोत्तागुड़ा	162	
भोपालपटनम	—"—		रायगुड़ा	172	
भोपालपटनम	—"—		लिंगापुर	503	
भोपालपटनम	—"—		नलमपल्ली	486	
		योग :—		**1557**	
भोपालपटनम	10	गोलागुड़ा	गोलागुड़ा	1114	7
भोपालपटनम	—"—		मर्रीगुड़ा	21	
		योग :—		**1135**	
भोपालपटनम	11	तिमेड़	तिमेड़	277	
भोपालपटनम	—"—		भटपल्ली	362	
भोपालपटनम	—"—		रामपुरम उर्फ भीमापुरम	240	
		योग :—		**879**	
भोपालपटनम	12	गोटाईगुड़ा	गोटाईगुड़ा	987	
		योग :—		**987**	
भोपालपटनम	13	गुल्लापेंटा	गुल्लापेंटा	789	8
भोपालपटनम	—"—		उल्लूर	451	
भोपालपटनम	—"—		चन्दनगिरी	302	
		योग :—		**1542**	
भोपालपटनम	14	रूद्रारम	रूद्रारम	1466	9
भोपालपटनम	—"—		कुचनूर	384	
भोपालपटनम	—"—		दामारम (विरान)	0	
		योग :—		**1850**	
भोपालपटनम	15	अर्जुनली	अर्जुनली	531	
भोपालपटनम	—"—		चिन्नामाटूर	169	
भोपालपटनम	—"—		पेद्दामाटूर	421	
		योग :—		**1121**	
भोपालपटनम	16	चेरपल्ली	चेरपल्ली	943	10
भोपालपटनम	—"—		रणपुरम	0	
भोपालपटनम	—"—		भट्टीगुड़ा (जाजलगुड़ा)	292	
भोपालपटनम	—"—		मोतकपल्ली	368	

1	2	3	4	5	6
भोपालपटनम	17	बामनपुर	[redacted]	165	10
भोपालपटनम	—"—		पोषणपल्ली	266	
भोपालपटनम	—"—		बुरगुडा	101	
भोपालपटनम	—"—		देपला	293	
भोपालपटनम	—"—		गोरगुण्ड़ा	430	
भोपालपटनम	—"—		मघापुर उर्फ करकावाय	229	
		योग :—		1484	
भोपालपटनम	18	पेगडापल्ली	पेगड़ापल्ली	713	11
भोपालपटनम	—"—		पे0 बासागुड़ा	984	
भोपालपटनम	—"—		कोडोली (विरान)	0	
		योग :—		1697	
भोपालपटनम	19	सण्ड्रापल्ली	यापला	154	
भोपालपटनम	—"—		सण्ड्रापल्ली	514	
भोपालपटनम	—"—		कोंड़ापड़गू	58	
		योग :—		726	
भोपालपटनम	20	दम्पाया	दम्पाया	639	
भोपालपटनम	—"—		दु0 कोत्तागुड़ा	219	
भोपालपटनम	—"—		को0 दुबेड़ा	274	
भोपालपटनम	—"—		काकलेर (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		पोंजेर (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		बंजोली (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		बर्रेगुड़ा (विरान)	0	
		योग :—		1132	
भोपालपटनम	21	अंगमपल्ली	अंगमपल्ली	323	12
भोपालपटनम	—"—		बन्देपर्रे	123	
भोपालपटनम	—"—		कोरजेड़	97	
भोपालपटनम	—"—		सोमनपल्ली	265	
भोपालपटनम	—"—		पे0 कोत्तागुडा	213	
भोपालपटनम	—"—		रायगुड़ा	164	
भोपालपटनम	—"—		धनगोल	170	
भोपालपटनम	—"—		नीलामड़गू	49	
		योग :—		1404	
भोपालपटनम	22	तमलापल्ली	तमलापल्ली	950	12
भोपालपटनम	—"—		आदेड़वाया (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		कचलारम	75	
भोपालपटनम	—"—		बंगापल्ली (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		आलूर (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		केसोली (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		अटुकपल्ली (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		भट्टपल्ली (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		लिंगापुर (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		गौरारम	95	
		योग :—		1120	

1	2	3	4	5	6
भोपालपटनम	23	मद्देड़	मद्देड़ ग्राम	3516	13
भोपालपटनम	—"—		मद्देड़ टाउन		
		योग :—		**3516**	
भोपालपटनम	24	संगमपल्ली	संगमपल्ली	1215	
भोपालपटनम	—"—		मिनपालूर (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		कोनागुड़ा	238	
भोपालपटनम	—"—		गिलगिच्चा	515	
भोपालपटनम	—"—		एलगांड्रा	0	
		योग :—		**1968**	
भोपालपटनम	25	गोरला	गोरला	525	14
भोपालपटनम	—"—		मीनूर	611	
		योग :—		**1136**	
भोपालपटनम	26	केशाईगुड़ा	केशाईगुड़ा	784	
		योग :—		**784**	
भोपालपटनम	27	वंगापल्ली	वंगापल्ली	600	
भोपालपटनम	—"—		मुत्तापुर	329	
भोपालपटनम	—"—		एंचोड़ा	203	
		योग :—		**1132**	
भोपालपटनम	28	अटुकपल्ली	अटुकपल्ली	541	15
भोपालपटनम	—"—		कोंडामौसम	101	
भोपालपटनम	—"—		कांदला	80	
भोपालपटनम	—"—		रामपेटा	198	
		योग :—		**920**	
भोपालपटनम	29	भद्राकाली	भद्राकाली	459	15
भोपालपटनम	—"—		मे0 कोत्तागुड़ा	19	
भोपालपटनम	—"—		रेगुड़ा	124	
भोपालपटनम	—"—		मेटलाचेरू	144	
भोपालपटनम	—"—		एलापुरम (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		कपाला (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		बड़ेगुण्डम (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		कुमारनीला (विरान)	0	
भोपालपटनम	—"—		रोड़नीला (विरान)	0	
		योग :—		**746**	
भोपालपटनम	30	चन्दूर	चन्दूर	343	16
भोपालपटनम	—"—		कम्बालपेंटा	92	
भोपालपटनम	—"—		दुधेड़ा	342	
भोपालपटनम	—"—		सीतानगरम	83	
भोपालपटनम	—"—		तारूड़	299	
		योग :—		**1159**	
भोपालपटनम	31	कोत्तूर	कोत्तूर	463	
भोपालपटनम	—"—		तारलागुड़ा	158	
भोपालपटनम	—"—		अन्नारम	320	
		योग :—		**941**	

1	2	3	4	5	6
भोपालपटनम	32	उसकालेड़	उसकालेड़	1414	
		योग :—		**1414**	
भोपालपटनम	33	मिनकापल्ली	मिनकापल्ली	539	17
भोपालपटनम	—"—		कोमटपल्ली	426	
भोपालपटनम	—"—		कोंगूपल्ली	428	
		योग :—		**1393**	
भोपालपटनम	34	पामगल	पामगल	763	18
भोपालपटनम	—"—		मेटूपल्ली	291	
भोपालपटनम	—"—		नीलमदीपा (विरान)	0	
		योग :—		**1054**	
भोपालपटनम	35	कोत्तापल्ली	कोत्तापल्ली	669	
भोपालपटनम	—"—		लोदेड़	541	
भोपालपटनम	—"—		मर्रीमल्ला	47	
		योग :—		**1257**	
		कुल योग (35 ग्राम पंचायत) :—		**44945**	

सारणी

खण्ड का नाम	अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गॉव/गॉवों का नाम	जन संख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
उसूर	1	संकनपल्ली	संकनपल्ली	1220	21
		योग :-		**1220**	
उसूर	2	एंगपल्ली	एंगपल्ली	341	21
उसूर	-"-		मुंजाल कांकेर	296	
उसूर	-"-		भट्टीगुडा	370	
उसूर	-"-		फरसापल्ली	256	
उसूर	-"-		कन्हईगुंडा	विरान	--
		योग :-		**1263**	
उसूर	3	पुसगुडी	पुसगुडी	800	19
उसूर	-"-		पावरेल	472	
उसूर	-"-		केसगल	विरान	
		योग :-		**1272**	
उसूर	4	मुरकीनार	मुरकीनार	672	19
उसूर	-"-		मोदकपाल	431	
उसूर	-"-		चिन्तनपाल	65	
उसूर	-"-		पंगनपाल	169	
उसूर	-"-		गुपकोंटा	विरान	
उसूर	-"-		संड्रेल	300	
		योग :-		**1637**	
उसूर	5	नुकनपाल	नुकनपाल	331	20
उसूर	-"-		चेरामंगी	597	
उसूर	-"-		धारावारम	263	
उसूर	-"-		पुन्नूर	346	
		योग :-		**1537**	
उसूर	6	चेरकडोडी	चेरकडोडी	549	20
उसूर	-"-		भण्डारपाल	254	
उसूर	-"-		पेंकरम	320	
		योग :-		**1123**	
उसूर	7	लंकापल्ली	लंकापल्ली	536	22
उसूर	-"-		जिनीप्पा	262	
उसूर	-"-		आईपेंटा	369	
		योग :-		**1167**	

1	2	3	4	5	6
उसूर	8	इलमिडी	इलमिडी	1797	22
		योग :–		**1797**	
उसूर	9	सेमलडोडी	सेमलडोडी	926	24
उसूर	–"–		पेदाउटलापल्ली	109	
उसूर	–"–		पेरमपल्ली	255	
		योग :–		**1290**	
उसूर	10	मुरदण्डा	मुरदण्डा	2273	25
		योग :–		**2273**	
उसूर	11	चिन्ताकोण्टा	चिन्ताकोण्टा	623	23
उसूर	–"–		दुगईगुडा	830	
उसूर	–"–		चाटलापल्ली	748	
		योग :–		**2201**	
उसूर	12	आवापल्ली	आवापल्ली	4166	23
		योग :–		**4166**	
उसूर	13	हीरापुर	हीरापुर	947	26
उसूर	–"–		पुसकोण्टा	128	
उसूर	–"–		बेलमनेड्रा	398	
		योग :–		**1473**	
उसूर	14	बासागुडा	बासागुडा	285	28
उसूर	–"–		कासीगुडा	विरान	
		योग :–		**285**	
उसूर	15	मल्लेपल्ली	मल्लेपल्ली	501	27
उसूर	–"–		धरमापुर	284	
उसूर	–"–		डलला	518	
		योग :–		**1303**	
उसूर	16	लिंगागिरी	लिंगागिरी	336	27
उसूर	–"–		सुरनार	132	
उसूर	–"–		छोटेसुकनपल्ली	154	
उसूर	–"–		बडेसुकनपल्ली	152	
उसूर	–"–		पेदापल्ली	विरान	
उसूर	–"–		डोलेगुडा	54	
		योग :–		**828**	

1	2	3	4	5	6
उसूर	17	कोरसागुडा	कोरसागुडा	323	28
उसूर	–"–		सारकेगुडा	145	
उसूर	–"–		राजपेटा	108	
उसूर	–"–		बकनागुलगुडा	30	
उसूर	–"–		आउटपल्ली	247	
उसूर	–"–		बीरागुडा	163	
योग :–				1016	
उसूर	18	चिपुरभटटी	चिपुरभटटी	245	29
उसूर	–"–		पाकेला	90	
उसूर	–"–		कोत्तागुडा	311	
उसूर	–"–		पेगडापल्ली	555	
योग :–				1201	
उसूर	19	तिम्मापुर	तिम्मापुर	1522	25
योग :–				1522	
उसूर	20	पुतकेल	पुतकेल	748	26
उसूर	–"–		चिल्कापल्ली	493	
योग :–				1241	
उसूर	21	उसूर	उसूर	1981	24
योग :–				1981	
उसूर	22	पोलमपल्ली	पोलमपल्ली	573	31
उसूर	–"–		टेकमेटला	577	
योग :–				1150	
उसूर	23	पुसबाका	पुसबाका	1553	30
योग :–				1553	
उसूर	24	तर्रेम	तर्रेम	1043	29
उसूर	–"–		चुटवाही	388	
योग :–				1431	
उसूर	25	चिन्नागेल्लूर	चिन्नागेल्लूर	486	30
उसूर	–"–		पेदागेल्लूर	761	
उसूर	–"–		गुण्डम	245	
योग :–				1492	
उसूर	26	गगनपल्ली	गगनपल्ली	391	31
उसूर	–"–		कोंजेड	177	
उसूर	–"–		नरसापुर	298	
उसूर	–"–		टेकलगुडीयम	206	
योग :–				1072	

1	2	3	4	5	6
उसूर	27	मारूढबाका	मारूढबाका	870	32
उसूर	–"–		लिंगापुर	327	
उसूर	–"–		भुसापुर	272	
योग :–				**1469**	
उसूर	28	गलगम	गलगम	314	33
उसूर	–"–		गुंजेपर्ती	310	
उसूर	–"–		नम्बी	302	
उसूर	–"–		नडपल्ली	342	
उसूर	–"–		पुटापल्ली	84	
योग :–				**1352**	
उसूर	29	नेलाकांकेर	नेलाकांकेर	271	32
उसूर	–"–		कमलापुर	488	
उसूर	–"–		रेखापल्ली	502	
उसूर	–"–		चिगंनपल्ली	226	
योग :–				**1487**	
उसूर	30	कोण्डापल्ली	कोण्डापल्ली	443	35
उसूर	–"–		भट्टीगुडा	903	
उसूर	–"–		कोमटपल्ली	97	
योग :–				**1443**	
उसूर	31	मलेमपेंटा	मलेमपेंटा	345	34
उसूर	–"–		तुमरेल	394	
उसूर	–"–		कोत्तूर	96	
उसूर	–"–		कोत्तापेंटा	विरान	
उसूर	–"–		पोलमपल्ली	198	
योग :–				**1033**	
उसूर	32	पुजारीकांकेर	पुजारीकांकेर	399	33
उसूर	–"–		कोत्तापल्ली	296	
उसूर	–"–		चिन्नाउटलापल्ली	60	
उसूर	–"–		भीमारम	130	
उसूर	–"–		सापेड	231	
उसूर	–"–		रामपुर	132	
उसूर	–"–		चिंगनमोट	विरान	
योग :–				**1248**	

1	2	3	4	5	6
उसूर	33	पामेड	पामेड	708	37
उसूर	–"–		गादीगुडा	242	
उसूर	–"–		पेदाधरमारम	114	
उसूर	–"–		चिन्नाधारणकटटू	विरान	
योग :–				1064	
उसूर	34	कंचाल	कंचाल	262	35
उसूर	–"–		काउरगटटा	422	
उसूर	–"–		एर्रपल्ली	103	
उसूर	–"–		गुडराजगुडा	183	
उसूर	–"–		तुनकीगुटा	14	
योग :–				984	
उसूर	35	पालागुडा	पालागुडा	575	36
उसूर	–"–		बोमेड	490	
उसूर	–"–		मीनागटटा	470	
योग :–				1535	
उसूर	36	धरमारम	धरमारम	896	34
उसूर	–"–		जीडपल्ली	632	
उसूर	–"–		दामारम	191	
उसूर	–"–		चिन्नाधरमारम	विरान	
योग :–				1719	
उसूर	37	जारपल्ली	जारपल्ली	472	37
उसूर	–"–		मेदीगुडा	169	
उसूर	–"–		तोंगगुडा	140	
उसूर	–"–		टेकलेर	298	
उसूर	–"–		पेदाधारणकटटू	27	
उसूर	–"–		बुरदामडगू	विरान	
योग :–				1106	
उसूर	38	उडतामल्ला	उडतामल्ला	449	38
उसूर	–"–		यमपुर	416	
उसूर	–"–		बोटेतोंग	182	
उसूर	–"–		पिनाचंदा	209	
उसूर	–"–		रासपल्ली	347	
योग :–				1603	
उसूर	39	दारेली	दारेली	688	36
उसूर	–"–		मेटागुडा	183	
उसूर	–"–		पेदाचंदा	176	
उसूर	–"–		मंगलतोर	102	
योग :–				1149	
कुल योग (39 ग्राम पंचायत) :–				55686	

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th September 2014

No. 876/Confdl./2014/II-3-1/2014.—The following Civil Judges (Entry Level) as mentioned in column No. (2) of the table below, are hereby promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge and consequently are transferred from the place, as specified in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anand Prakash Dixit, Addl. Judge to the Court of I C. J.-II, Durg at Bhilai-3.	Bhilai-3	Bhilai-3	Durg	Civil Judge Class-I
2.	Ku. Radhika Saini, III Civil Judge Class-II.	Durg	Durg	Durg	II Civil Judge Class-I
3.	Ku. Udai Laxmi Parmar, VIII, Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Raipur	V Civil Judge Class-I
4.	Smt. Kiran Tripathi, III Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge Class-I
5.	Shri Amit Rathore, Civil Judge Class-II.	Lormi	Raigarh	Raigarh	II Civil Judge Class-I
6.	Shri Ashok Kumar Lal, Civil Judge Class-II.	Patthalgaon	Jashpur	Jashpur	II Civil Judge Class-I
7.	Shri Sumit Kapoor, Civil Judge Class-II.	Dondilohara	Korba	Korba	II Civil Judge Class-I
8.	Shri Awadh Kishore, Addl. Judge to the Court of C.J.-II, Jashpur at Kunkuri.	Kunkuri	Kunkuri	Jashpur	Civil Judge Class-I
9.	Ku. Deepa Katare, V Civil Judge Class-II.	Durg	Balod	Balod	II Civil Judge Class-I
10.	Shri Vikram Pratap Chandra Addl. Judge to the Court of I C.J.-II, Raigarh at Sarangarh.	Sarangarh	Sarangarh	Raigarh	Civil Judge Class-I
11.	Shri Sanjay Agrawal, Civil Judge Class-II.	Dallirajhara	Raipur	Raipur	IV Civil Judge Class-I.
12.	Shri Santanoo Kumar Deshlahre, Civil Judge Class-II.	Deobhog	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Shri Avinash Kumar Tripathi II Civil Judge Class-II.	Bemetara	Bemetara	Bemetara	II Civil Judge Class-I
14.	Shri Vinay Kumar Pradhan, Civil Judge Class-II.	Sitapur	Dhamtari	Dhamtari	II Civil Judge Class-I
15.	Shri Abhishek Sharma, VII Civil Judge Class-II and Special Railway Magistrate.	Raipur	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-I
16.	Shri Agam Kumar Kashyap Civil Judge Class-II.	Kharsiya	Sakti	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I
17.	Shri Shrinivas Tiwari, Civil Judge Class-II.	Simga	Mahasamund	Mahasamund	II Civil Judge Class-I
18.	Shri Jagmohan Shankar Patel Civil Judge Class-II.	Rajpur	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge Class-I
19.	Shri Ganesh Ram Patel, Civil Judge Class-II.	Pali	Bhatapara	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-I
20.	Shri Santosh Kumar Mahobiya, Civil Judge Class-II.	Bilaigarh	Saraipali	Mahasamund	Civil Judge Class-I
21.	Shri Santosh Thakur, Civil Judge Class-II.	Baikunthpur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	II Civil Judge Class-I
22.	Shri Narendra Kumar, Civil Judge Class-II.	Janakpur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-I
23.	Smt. Shyamwati Maravi, V Civil Judge Class-II.	Raipur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	III Civil Judge Class-I.
24.	Smt. Monika Jaiswal, IX Civil Judge Class-II.	Durg	Ambagarh-Chowki	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 11th September 2014

No. 878/Confdl./2014/II-3-1/2014.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their offices:—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Seema Chandrakar, III Civil Judge Class-II.	Raigarh	Dallirajhara	Balod	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Diamond Kumar Gilhare Civil Judge Class-II, Khairagarh at Rajnandgaon.	Rajnandgaon	Lormi	Mungeli	Civil Judge Class-II
3.	Smt. Priyanka Agrawal, IV Civil Judge Class-II.	Raigarh	Bilaigarh	BalodaBazar	Civil Judge Class-II
4.	Ku. Shruti Shukla, Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II.	Kawardha	Bhatgaon	BalodaBazar	Civil Judge Class-II
5.	Ku. Chitralekha Sonwani, Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar at Bhatapara.	Bhatapara	Dondilohara	Balod	Civil Judge Class-II
6.	Shri Amit Jindal, I Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Simga	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-II
7.	Shri Krishnakant Bhardwaj, II Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bacheli	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-II
8.	Smt. Ganga Patel, I Civil Judge Class-II.	Janjgir	Pali	Korba	Civil Judge Class-II
9.	Shri Dular Singh, I Civil Judge Class-II.	Balod	Bagicha	Jashpur	Civil Judge Class-II
10.	Shri Manish Kumar Dubey, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund at Saraipali.	Saraipali	Patthalgaon	Jashpur	Civil Judge Class-II
11.	Shri Hemant Kumar Ratre, Civil Judge Class-II, Dongargarh at Rajnandgaon.	Rajnandgaon	Janakpur	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
12.	Ku. Parul Shrivastava, VIII Civil Judge Class-II.	Durg	Kharsiya	Raigarh	Civil Judge Class-II
13.	Shri Gitesh Kumar Kaushik, I Civil Judge Class-II.	Mahasamund	Deobhog	Gariaband	Civil Judge Class-II
14.	Ku. Sweta, II Civil Judge Class-II.	Raigarh	Chhuikhadan	Rajnandgaon	Civil Judge Class-II
15.	Shri Omprakash Sahu, Civil Judge Class-II.	Baloda-Bazar	Rajpur	Balrampur	Civil Judge Class-II
16.	Shri Pankaj Alok Tirkey, II Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Pakhanjur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II
17.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, Civil Judge Class-II.	PendraRoad	Sitapur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 12th September 2014

No. 881/Confdl./2014/II-3-1/2014.—Registry Order No. 876/Confdl./2014/II-3-1/2014 dt. 11-09-2014 is modified to the extent that Shri Sanjay Agrawal, Civil Judge Class-II, Dallirajhara is transferred as IV Civil Judge Class-I, Bilaspur instead of IV Civil Judge Class-I, Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्रमांक 7026/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 02) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-2191/तीन-6-1/2000 दिनांक 20 मार्च, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (1) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/21-ब (छ.ग.)/2001 दिनांक 04 जुलाई, 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (1)	मुख्यालय (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
श्री अभिषेक शर्मा	रायपुर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं बिलासपुर

No. 7026/III-6-1/2000.—In exercise of the powers Conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its previous Notification No. 2191/III-06-1/2000, dated 20-03-2013 the High Court of Chhattisgarh , Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in column No. (1) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the Govt. of Chhattisgarh under section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 3403/21-B (C.G.)/2001, dated 04th July, 2001 for enquary and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil District shown in column No. (3) of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office.

TABLE

Name of the Judicial Magistrate First Class (1)	Head Quarter (2)	Local Area (3)
Shri Abhishek Sharma	Raipur	Raipur, Durg, Rajnandgaon & Bilaspur.

By order of the High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

राज्य शासन के आदेश

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26.—छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 32 की उपबंधों के अनुसरण में नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों को धारा 33 के तहत आरक्षण प्रदान किया जाना है. राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों/आयोगों/बोर्डों के सभी प्रकार के सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों पर चिन्हांकन हेतु प्रस्ताव मंगाए गए.

2. सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 03-07-2014 द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 18-09-2014 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष दिनांक 24-09-2014 को विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया है. विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार विभिन्न विभागों के पदों का नि:शक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हांकन संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुरूप है. अत: समूह 'प्रथम', 'द्वितीय', 'तृतीय' एवं 'चतुर्थ' श्रेणी में नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित किये गये पदों की सूची सर्व संबंधितों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है. यह सूची निम्न प्रावधानों के साथ लागू होगी :—

3.1 नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों द्वारा नि:शक्तताओं को दूर करने के लिए कुछ साधनों और उपकरणों की अपेक्षा होगी. नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों को साधन और उपकरण उनकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे. इस हेतु नियुक्ति पत्र/पदभार ग्रहण करने पर तत्काल समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागों के मांग पर एक माह में उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

3.2 यदि कोई पद पहले से नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्ति द्वारा धारण किया गया है, तो उस पद को नि:शक्त व्यक्ति के लिए स्वमेव चिन्हांकित पद माना जाएगा.

3.3 यदि पोषक वर्ग का पद नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित है, तो उसका पदोन्नत पद भी स्वमेव चिन्हांकित पद माना जाएगा.

3.4 विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/निकाय/आयोग/बोर्ड में छूटे हुये/नवीन पद के सृजन होने पर पूर्व से चिन्हांकित पद के समकक्ष पद होने या भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 16-75/2010-डी. डी. III नई दिल्ली, दिनांक 23-07-2013 में चिन्हांकित पद अनुरूप स्वमेव चिन्हांकित पद माना जावेगा.

3.5 विधिक स्थिति निर्मित होने पर भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 16-75/2010-डी.डी. III नई दिल्ली, दिनांक 23-07-2013 में चिन्हांकित पदों को संदर्भ माना जाएगा.

3.6 उपरोक्त चिन्हित पद के अलावा अन्य पदों के लिए नि:शक्तता भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 16-75/2010-डी.डी.-III नई दिल्ली, दिनांक 23-07-2013 के अनुसार प्रावधानित माना जाएगा.

4. अत: राज्य शासन उपरोक्तानुसार शासन के विभिन्न श्रेणी के पदों पर नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित पदों की सूची जारी करता है.

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव.

नि:शक्तजनों के लिए चिन्हांकित पद प्रथम श्रेणी

क्र.	पदनाम	निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति	कार्यस्थल का विवरण	पद के लिए उपयुक्त नि:शक्तता का प्रकार "शब्द संक्षेप"
1	2	3	4	5
1	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रथम श्रेणी), विशेषज्ञ	मरीजों की जांच एवं उपचार का कार्य।	राज्य बीमा औषधालय/ चिकित्सालय	**OA,OL**
2	कर्मशाला अधीक्षक	शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य, भवनों/मशीनों की ड्राइंग बनाना, सर्वेक्षण करना/ कम्प्यूटर का उपयोग करना, परीक्षा कार्य के परफॉरमेंस का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को फील्ड/ औद्योगिक भ्रमण पर ले जाना/ उपकरणों की भौतिक जांच करना, मटेरियल टेस्टिंग करना।	सामान्यतः कार्यालय/ भवन/वर्कशाप में, उद्योगों में प्रशिक्षण हेतु	**OL,HH,BL**
3	कार्यक्रम समन्वयक	कृषि विज्ञान केन्द्र में संचालित गतिविधियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखना तथा विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण तथा कृषक मेला का आयोजन एवं कृषकों के खेतों में प्रायोगिक कार्य करना।	कृषि विज्ञान केन्द्र एवं संबंधित जिले के ग्राम	**OA,OL,BL,OAL,B,LV, HH**
4	प्राध्यापक/प्रवाचक/ व्याख्याता (कला)	कक्षाओं में अध्यापन एवं प्राचार्य द्वारा आबंटित अन्य प्रशासनिक कार्य।	सामान्यतः कार्यालय/ भवन/ महाविद्यालयों में	**OA,OL,BL,B,LV**
5	प्राध्यापक/प्रवाचक/ व्याख्याता (विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी एवं मीडिया)	कक्षाओं में अध्यापन एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण कार्य, प्राचार्य द्वारा आबंटित अन्य प्रशासनिक कार्य।	सामान्यतः कार्यालय/ भवन/ महाविद्यालयों में	**OA,OL**
6	चिकित्सा विशेषज्ञ	चिकित्सा विशेषज्ञ मरीजों की जांच करना, इलाज करना, शल्य चिकित्सा एवं प्रशासकीय कार्य।	चिकित्सालय	**OL,OA (For non surgical)**
7	निदेशक शिक्षण/ परीक्षा नियंत्रक	विश्वविद्यालय के सभी संकायों और संबद्ध विषयों में शिक्षा का सम्पूर्ण नियंत्रण।	विभिन्न महाविद्यालय एवं कार्यालय	**OA,OL,BL, OAL,BLOA,HH**

1	2	3	4	5
8	निदेशक विस्तार	कृषि विस्तार योजना के अधीन संचालित गतिविधियों का नियंत्रण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य।	विभिन्न अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रक्षेत्र एवं कार्यालय	**OA,OL,LV**
9	निदेशक अनुसंधान	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान कार्य पर संपूर्ण नियंत्रण, अनुसंधान सेवा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजट तैयार करना, अनुसंधान परिणाम का संकलन, अनुसंधान कार्यों के निष्कर्षों का समुचित प्रकाशन, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की वित्तीय सहायक से संचालित परियोजनाओं का सतत् पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण आदि प्रायोगिक एवं प्रशासनिक कार्य।	विभिन्न अनुसंधान केन्द्र, प्रक्षेत्र एवं क़ार्यालय	**OA,OL,BL,OAL,BLOA, HH**
10	पुस्तकालयाध्यक्ष/ ग्रथपाल	विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों का रखरखाव, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करना, पुस्तकें खरीदने तथा छात्रों एवं कर्मचारी वृन्द के सदस्यों के बीच उसका वितरण कराना, विश्वविद्यालय के अधीन आने वाली पुस्तकालयों के विकास तथा प्रचलन के लिए वार्षिक बजट तैयार करना, ऐसी रीतियों का प्रबंध करना जो अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार की आवश्यकताओं के लिए लाभप्रद हों आदि प्रशासनिक कार्य।	पुस्तकालय	**OA,OL,OAL,B,LV,HH**
11	प्रमुख वैज्ञानिक/ प्राध्यापक कृषि	छात्रों को संबंधित विषयों में शिक्षण प्रदान करना, प्रक्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना तथा छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करना, कृषकों को खेती संबंधी समस्त जानकारी प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा के संबंध में सौंपे गये समस्त कार्य।	महाविद्यालय, प्रक्षेत्र एवं कार्यालय	**OAL,OL,OA,BL,HH**
12	प्राचार्य (उच्चशिक्षा)	संस्थान के प्रशासनिक कार्यो का सुचारू रूप से संचालन।	कार्यालय।	**OA,OL,BL,B,LV HH,**

1	2	3	4	5
13	संकाय सदस्य	पंचायतीराज संबंधित विषयों का प्रशिक्षण/ अध्ययन/ प्रकाशन/ शोधकार्य	कार्यालय।	OA,OL,OAL,BL,B,LV
14	संचालक विस्तार सेवायें	कृषि विस्तार योजना के अधीन संचालित गतिविधियों का नियंत्रण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य।	विभिन्न अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रक्षेत्र एवं कार्यालय	OA,OL,BL,OAL,BL,OA ,HH
15	संचालक अनुसंधान सेवायें	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान कार्य का पर्यवेक्षण, नियंत्रण, प्रायोगिक एवं प्रशासनिक कार्य।	विभिन्न अनुसंधान केन्द्र, प्रक्षेत्र एवं कार्यालय	OA,OL,BL,OAL,BLOA, HH
16	सह प्राध्यापक/ वरिष्ठ वैज्ञानिक	छात्रों को संबंधित विषयों में शिक्षण प्रदान करना, प्रक्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना तथा छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करना, कृषकों को खेती संबंधी समस्त जानकारी प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा के संबंध में सौंपे गये समस्त कार्य आदि।	महाविद्यालय, प्रक्षेत्र एवं कार्यालय	OAL,OL,OA,BL, HH
17	सहायक प्राध्यापक (क्लीनिकल/नॉन क्लीनिकल)	मरीजों की जांच करना, इलाज करना, शल्य चिकित्सा, अध्यापन एवं प्रशासकीय कार्य।	चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय	OA,OL
18	उप महाप्रबंधक (वित्त)	वित्त विभाग के कार्यालय प्रमुख .	मुख्यालय के कार्यालय	OA,OL,BL,OAL,HH,BL OA
19	अधिष्ठाता	महाविद्यालय के सम्पत्तियों के उपयोग तथा रख-रखाव के समस्त कार्य, महाविद्यालय के छात्रावासों का रखरखाव, पर्यवेक्षण, प्रायोगिक एवं प्रशासनिक कार्य।	महाविद्याल, प्रक्षेत्र एवं कार्यालय	OA,OL,BL,B,LV
20	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	छात्र-छात्राओं के कल्याण हेतु संबंधित समस्त कार्य एवं प्रशासनिक कार्य।	विभिन्न महाविद्यालय एवं कार्यालय	OA,OL,BL
21	ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी (क्लास रूम शिक्षण आवश्यक)	शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य, भवनों/मशीनों की ड्राइंग बनाना, सर्वेक्षण करना/ कम्प्यूटर का उपयोग करना, परीक्षा कार्य के परफॉरमेंस का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को फील्ड/औद्योगिक भ्रमण पर ले जाना/ उपकरणों की भौतिक जांच करना, मटेरियल टेस्टिंग करना।	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,LV

निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पद द्वितीय श्रेणी

क्र.	पदनाम	निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति	कार्यस्थल का विवरण	पद के लिए उपयुक्त निःशक्तता का प्रकार "शब्द संक्षेप"
1	2	3	4	5
1	खनि अधिकारी	खदानों का एसेसमेंट एवं खदान क्षेत्र का दौरा।	कार्यालय, मैदानी एवं पहाड़ी	OA,OL
2	क्षेत्रीय समन्वयक	प्रभार में संकुल के अंतर्गत परियोजना का ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन।	विकासखण्ड स्तरीय कार्य	OA,OL,OAL,BL HH
3	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	मरीजों की जांच एवं उपचार का कार्य।	राज्य बीमा औषधालय/ चिकित्सालय	OA,OL
4	चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा विशेषज्ञ	मरीजों की जांच करना, ईलाज करना, शल्य चिकित्सा एवं प्रशासकीय कार्य।	चिकित्सालय	OL,OA (Non
5	प्रदर्शक, सीनियर रेसीडेंट/रजिस्ट्रार जूनियर रेसीडेंट/ रजिस्ट्रार	अध्यापन एवं मरीजों की जांच, वरिष्ठ चिकित्सकों के निर्देशानुसार कार्य करना।	चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय	OL,OA (Non surgical jobs)
6	राज्य प्रशासनिक सेवा/ डिप्टी कलेक्टर	राज्य प्रशासनिक कार्य।	मुख्यालय के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय।	OA,OL,BL,OAL,B,LV,HH
7	प्रोग्रामर	सूचना एवं प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग एवं डाटा संधारण संबंधी कार्य।	मुख्यालय के सूचना एवं प्रौद्योगिक कार्यालय।	OA,OL,OAL,BL HH
8	बाल विकास परियोजना अधिकारी	विकासखंड/परियोजना स्तर पर कार्य संपादित करना।	विकासखण्ड/ परियोजना अंतर्गत आं.बा. केन्द्र एवं संस्था	OA,OL,OAL,BL ,B,LV, HH
9	कम्पनी सचिव	कम्पनी मामले, लेखा संबंधी त्रैमासिक/वार्षिक जानकारी और प्रपत्र तैयार करना, संचालक मण्डल की बैठक से संबंधित समन्वय का कार्य, लोकसभा/ विधानसभा से संबंधित कार्य एवं विधि विभाग से संबंधित कार्यो का संपादन।	कार्यालयीन कार्य रोशनीदार कमरों में किया जाता है। व्यक्ति को कार्यालय एवं कार्यालय के बाहर भी कार्यो का निष्पादन करना होता है।	OA,OL,BL

1	2	3	4	5
10	कार्यक्रम अधिकारी	जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार करना, योजना का संचालन करना, निरीक्षण करना एवं प्रगति से उच्च कार्यालय को अवगत कराना।	जनपद स्तर	OA,OL,LV,BL,HH
11	कल्याण निरीक्षक/ पर्यवेक्षक	छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 का प्रवर्तन।	कार्यालय, मैदानी एवं कारखाना निरीक्षण।	OA,OL,BL,B,LV
12	मुद्राशास्त्री	अकादमिक तथा विशेषज्ञ स्तर का कार्य है। इसमें संग्रहालय, के अंदर तथा राज्य के भिन्न-भिन्न स्मारक स्थल में भ्रमण कर, सर्वेक्षण कर अध्ययन/सर्वेक्षण/रिपोर्ट लेखन तथा जीर्ण स्मारकों का संरक्षण किया जाता है। समय-समय पर स्थल निरीक्षण आवश्यक होता है।	कार्यालय एवं मैदानी निरीक्षण।	OA,OL,HH
13	विद्युत ताप गृह केमिस्ट	विद्युत ताप गृहों की रसायनिक प्रयोगशाला में कोयले एवं पानी की गुणवत्ता का परीक्षण संबंधी कार्य किया जाता है।	ताप विद्युत गृह	OA,OL,OAL,HH
14	विषय वस्तु विशेषज्ञ	कार्यालयीन कार्यो के निष्पादन में कार्यक्रम समन्वयक को तकनीकी सहयोग प्रदान करना, कृषकों की समस्याओं का निराकरण करना, कृषकों के खेतों में प्रायोगिक कार्य करना, जिला, अनुविभाग, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में उपस्थित होकर कृषकों को मार्गदर्शन प्रदान करना, आयोजित किसान मैले में प्रशिक्षण देना ।	कृषि विज्ञान केन्द्र एवं संबंधित जिले के ग्राम।	OA,OL,HH
15	विशेषज्ञ (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु प्रस्ताव तैयार करना एवं आवश्यकतानुसार योजनाओं के निरीक्षण हेतु भ्रमण।	राज्य स्तर	OA,OL,HH,LV
16	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	परियोजना का विकासखण्ड स्तर पर प्रबंधन	विकास खंड प्रबंधन इकाई	OA,OL,OAL,BL,HH,LV
17	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	संबंधित विषय के विशेषज्ञ	जिला प्रबंधन इकाई	OA,OL,OAL,BL, HH,LV

1	2	3.	4	5
18	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ सहायक संचालक / अधीक्षिका नारी निकेतन/फेकल्टी मेम्बर (सहायक संचालक संवर्ग)	जिला स्तर पर मैदानी कार्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण, विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक लेना बैठकों में उपस्थित होना, प्रतिवेदन तैयार करना, बाल संरक्षण संबंधी गृहों/संस्थाओं का निरीक्षण, शिविर/कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि समस्त विभागीय कार्यक्रमों का जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग करना।	जिला अंतर्गत संपूर्ण मैदानी कार्यालय आं.बा. केन्द्र सहित ।	OA,OL,OLA,BL,BLOA, B,LV,HH
19	पर्यवेक्षण अधिकारी- III	मानिटरिंग, निरीक्षण तथा कृषि एवं मृदा संरक्षण के संबंध में तकनीकी सहयोग।	राज्य स्तर	OA,OL,LV,BL, HH
20	परियोजना अर्थशास्त्री	परियोजना का वित्तीय आंकलन एवं प्रबंधन।	जिला स्तर	OA,OL,OAL,LV, HH
21	पुरातत्वीय अधिकारी	पुरातत्व संबंधित कार्यालय प्रबंधन	कार्यालय।	OA,OL,HH
22	प्लेसमेंट आफिसर	निःशक्तजनों के स्वरोजगार हेतु ऋण स्वीकृति संबंधी कार्य। सुपरविजन एवं मानिटरिंग।	कार्यालय।	OA,OL,OAL,BL,B,LV
23	प्रबंधक	कार्यालयीन कार्यों के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों के निरीक्षण का कार्य। इन्हें पर्यवेक्षण नेतृत्व करना होता है ।	कार्यालय।	OA,OL,HH
24	प्रबंधक MIS	कार्यालय के विपणन कक्ष से संबंधित कार्यों में कम्प्यूटर में कार्य, सामग्रियों की दरों के निर्धारण का कार्य तथा ई-टेंडरिंग का कार्य।	कार्यालय।	OL,OA,HH
25	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	प्रशिक्षण संबंधी कार्य।	राज्य स्तर	OA,OL,LV,B,BL,HH
26	प्राचार्य (स्कूल शिक्षा)	शाला में प्रशासनिक, नियंत्रण, शाला में अध्यापन व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना एवं आहरण संवितरण अधिकार का होना।	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल	OA,OL,OAL,BL,B,LV,H H
27	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	संबंधित विषय विशेषज्ञ के सहायक।	राज्य प्रबंधन इकाई	OA,OL,OAL,BL HH
28	प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर	कम्प्यूटर का उपयोग, प्रोग्रामिंग करना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षा कार्य, कम्प्यूटर सुधार एवं उपकरणों की भौतिक जांच।	कार्यालय भवन में	OA,OL,OAL,BL HH

1	2	3	4	5
29	प्रचार-प्रसार अधिकारी	योजना के प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव।	राज्य स्तर	**OA,OL,OAL,LV,BL**
30	श्रम पदाधिकारी	कार्यालयीन कार्य के साथ-साथ फिल्ड का कार्य (श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु)	पदस्थ जिला	**OA,OL,BL,B,LV**
31	रजिस्ट्रार (महाविद्यालय)	महाविद्यालय का आहरण/संवितरण अधिकार, लेखा का संधारण तथा अन्य प्रशासनिक कार्य	महाविद्यालय कार्यालय, महाविद्यालय परिसर	**OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH**
32	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	संबंधित विषय के विशेषज्ञ	राज्य प्रबंधन इकाई	**OA,OL,OAL,BL,HH,LV, B**
33	रसायनज्ञ / सहायक रसानज्ञ	खनिज नमूनों का रसायनिक विश्लेषण करना, रसायनिक विश्लेषण रंग, गंध एवं दृष्टि आदि के प्रयोग से परीक्षण करना, रसायनिक प्रयोगशालाओं में एसिड, ओवन, चिमनी आदि की सहायता से परीक्षण करना।	कार्यालय एवं मैदानी	**OA,OL,HH**
34	सहायक योजनाकार/ वास्तुकार	अथारिटी के परियोजनाओं /सेक्टर की प्लानिंग, ले आउट, ड्राईंग एवं डिजाइनिंग का कार्य किया जाता है। यह कार्य अति सूक्ष्मता से किया जाना।	कार्यालय	**OL,HH**
35	सहायक कुलसचिव	विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में कुलसचिव महोदय के सामान्य नियंत्रण में स्थापना/शैक्षणिक संबंधी सम्पूर्ण कार्यों को संपादित करना तथा उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो को करना	कार्यालय।	**OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH**
36	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	स्कूल शिक्षा विभाग के विकासखण्ड कार्यालय का कार्यालीयन कार्य तथा वि0ख0 के अंतर्गत आने वाली शालाओं का निरीक्षण आदि।	विकास खण्ड एवं कार्यालय।	**OL,OA,BL,B,LV,HH**
37	सहायक वित्त अधिकारी/ सहायक लेखानियंत्रक	विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में लेखानियंत्रक को सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करना, विभिन्न लेखाओं का परीक्षण करना।	कार्यालय	**OA,OL,BL,HH**
38	सहायक नियंत्रक परीक्षा	विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन करना, विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों में अध्यापन तथा परीक्षा का एक समान मानक तैयार करने में परीक्षा नियंत्रक को सहयोग प्रदान करना	कार्यालय	**OA,OL,HH**

1	2	3	4	5
39	सहायक भौमिकी विद्	(1) मैदानी, पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भू.सर्वेक्षण, मैपिंग एवं खनिज नमूनों की जांच करना, पहाड़ी क्षेत्र में होने पर पहाड़ों में चढ़ना.उतरना, क्षेत्रीय कार्य आदि, (2) मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न सर्वे/ड्रिलिंग उपकरणों का उपयोग करना।	मैदानी, पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्र	OA,OL,HH
40	सहायक भू-भौतिकी विद्	सहायक भू-भौतिकी विद् से संबंधित कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,HH
41	सहायक भू-रसायन विद्	सहायक भू-रसायन विद् से संबंधित कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,HH
42	सहायक भू-जल विद/सहायक भू-विद	सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-विद् से संबंधित कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,HH
43	सहायक परियोजना अधिकारी	योजना से संबंधित निर्देशों को जिलों को प्रेषित करना। और जनपद से प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना। आवश्यकतानुसार योजनाओं के निरीक्षण हेतु भ्रमण।	जिला स्तर	OA,OL,LV,HH
44	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	पुस्तकालय में पुस्तकों का समुचित रखरखाव, छात्र-छात्राओं को षिक्षण कार्य एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार देय अन्य कार्य	पुस्तकालय	OA,OL,OAL,B,LV,HH
45	सहायक प्राध्यापक/ वैज्ञानिक	छात्रों को संबंधित विषयों में शिक्षण प्रदान करना, प्रक्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना तथा छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करना, कृषकों को खेती संबंधी समस्त जानकारी प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा के संबंध में सौंपे गये समस्त कार्य आदि ।	महाविद्यालय, प्रक्षेत्र एवं कार्यालय	OA,OL
46	सहायक संचालक	विभागीय कार्यकलापों/ योजनाओं का संपादन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। शासकीय कार्यों /योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय भ्रमण।	कार्यालय एवं मैदानी	OL,HH,OA,BL,LV,B
47	सहायक संचालक	कार्यालयीन कार्य के साथ साथ फिल्ड का कार्य (कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों को पालन सुनिश्चित करने हेतु)	कार्यक्षेत्र में स्थित कारखाना।	OA,OL,OLA,BL,BLOA, HH
48	सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ अन्वेषक	सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण एवं विश्लेषण।	जिला स्तर	OA,OL,HH, BL

1	2	3	4	5
49	सहायक व्याख्याता	शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत होटल प्रबंध, फुड प्रोडक्शन एवं संबंधित विषयों पर व्याख्यान देने के साथ साथ सभी विषयों से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	राज्य होटल प्रबंध संस्थान, उपरवारा, नया रायपुर	OA,OL
50	सहायक वास्तुविद	सहायक वास्तुविद सामान्यतः मण्डल के परियोजनाओं का लेआउट, ड्राईंग एवं डिजाईनिंग का कार्य किया जाता है यह कार्य अति सूक्ष्मता से किया जाता है तथा जोखिम भरा होता है ।	कार्यालय एवं मण्डल के मैदानी कार्य क्षेत्र	OL.HH
51	सहायक अभियंता (सिविल)	कार्यालय में एस्टिमेट, ड्राईग एवं डिजाईन का परीक्षण तथा कार्यालय के बाहर निर्माण कार्यो का निरीक्षण करना।	कार्यालय एवं मैदानी।	OA.OL.HH
52	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी/ इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर सांईस/ इंफार्मेशन टेक्नालाजी)	परियोजना के कार्यों का निष्पादन एवं पर्यवेक्षण।	कार्यालय एवं मैदानी	OL.OA.HH
53	सहायक आयुक्त/ सांख्यिकी अधिकारी	योजना के संचालन हेतु आयुक्त के निर्देशानुसार कार्य एवं आवश्यकतानुसार योजनाओं के निरीक्षण हेतु भ्रमण।	राज्य स्तर	OA,OL,BL,HH,
54	सहायक अनुसंधान अधिकारी	परियोजना के कार्यों का निष्पादनए अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण।	कार्यालय एवं मैदानी	OL,OA,HH,BL
55	सांख्यिकीय अधिकारी	सिंचाई सांख्यिकीय एवं विभाग से संबंधित अन्य सांख्यिकी तैयार करना	कार्यालय	OA,OL,BL, LV,HH,
56	सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	संबंधित विषय के विशेषज्ञ के सहायक	राज्य मिशन प्रबंधन इकाई	OA.OL.OAL.BL HH
57	वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यकर संबंधी प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	कार्यालय एवं मैदानी	BL,OA,OL,OAL
58	सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी	विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण योजनाओंए बुलेटिनोंए खबरों का प्रकाशन करवानाए विभिन्न मीडियाओं के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान करना इत्यादि कार्य	कार्यालय	OA,OL,OAL,LV,BL,HH

1	2	3	4	5
59	सलाहकार	राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभार की योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए मुख्यालय में कार्य करने के अतिरिक्त क्षेत्र का निरंतर भ्रमण आवश्यक है। कम्प्यूटर चालन एवं समन्वय का कार्य भी किया जाता है।	कार्यालय	OA,OL,OAL,BL,HH,LV
60	उप प्रबंधक	जिला कार्यालय में उप प्रबंधक के दायित्वाधीनः- कृषि आदानों एवं सिंचाई के उपयोग हेतु संसाधनों की मांग मैदानी कृषि अधिकारियों से प्राप्त कर प्रदाय व्यवस्था करना। तदुपरांत मैदानी स्तर पर प्रदायित सामग्रियों की कार्यशीलता बाबत सत्यापन कार्य।	मुख्यालय एवं जिला स्तर	OA,OL,OAL,BL,HH
61	छ.ग.राज्य वित्त लेखा सेवा संवर्ग	वित्तीय बिन्दुओं के परीक्षण, भौतिक रूप में प्रस्तुत अभिलेखों का अनुशीलन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, रोकड़ बही, जर्नल तथा अन्य रिकार्डों में उचित प्रविष्टियों के लिए बिलों, रसीदों और भुगतान आदि की संवीक्षा एवं नस्तियों में वित्तीय अभिमत देने संबंधी कार्य।	विभागाध्यक्ष कार्यालय, कोषालय, निगम, मण्डल इत्यादि	OA,OL,BL,HH
62	वाष्पयंत्र निरीक्षक	वाष्पयंत्रों का निरीक्षण कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना तथा निर्माणाधीन वाष्पयंत्रों का विभिन्न चरणों में निरीक्षण	मैदानी एवं कार्यालय	OA,OL
63	वैज्ञानिक "बी"	Research Work, field work, co-ordination of scientific programmes.	कार्यालय	OL.HH
64	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	प्रारंभिक एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण तथा जी.आई.एस. संबंधी कार्य।	राज्य स्तर	OA,OL,BL,HH
65	नहर प्रतिसमाहर्ता	राजस्व सलाहकार है। वह सम्भाग में अनुविभागीय अधिकारी के समकक्ष स्थिति रखता है। वह सभी राजस्व निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। सिंचाई अधिनियम के अंतर्गत मामलों का विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में।	कार्यालय एवं मैदानी	OA.OL.OAL.BL HH
66	अनुसंधान अधिकारी	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संबंधी विषयों पर शोध कार्य।	राज्य स्तरीय	OA,OL,LV,BL,HH

1	2	3	4	5
67	सहायक नियंत्रक विधिक माप-विज्ञान	विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत् कार्य संपादन	राज्य स्तर	**OA,OL,HH**
68	गृह विभाग/जेल विभाग/आबकारी विभाग/परिवहन विभाग/वन विभाग/खेल विभाग/विमानन विभाग के अंतर्गत आने वाले पद जो कि वर्दीधारी एवं फिल्ड से संबंधित	चुनौतीपूर्ण एवं कानून व्यवस्था कार्य।	मैदानी कार्य।	निःशक्तता अमान्य

निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पद तृतीय श्रेणी

क्र.	पदनाम	निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति	कार्यस्थल का विवरण	पद के लिए उपयुक्त निःशक्तता का प्रकार "शब्द संक्षेप"
1	2	3	4	5
1	शीघ्रलेखक/स्टेनो	टंकण कार्य, शीघ्र लेखन का कार्य, नस्तियों का रख रखाव, लाना, ले जाना, नस्ती को पढ़ना लिखना आदि कार्य।	कार्यालय में शीघ्रलेखन एवं टंकण कार्य।	**OA,OL,BL,OAL,B, LV**
2	शोध सहायक	तकनीकी प्रकार का कार्य है।	कार्यालय एवं मैदानी कार्य।	**OA,OL,B,LV,HH**
3	सहायक प्रचार प्रसार अधिकारी	योजना के प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव।	जिला स्तर	**OA,OL,OAL,BL,HH**
4	एयर कम्प्रेशर चालक	एयर कम्प्रेशर के संधारण एवं प्रचालन का कार्य।	मैदानी कार्य।	**OL,HH**
5	एकीकृत शिक्षक	विभिन्न श्रेणी के निःशक्त छात्र/छात्राओं को अध्यापन कार्य।	शाला	**OA,OL,BL,B,LV**
6	एम.पी.डब्ल्यू पुरूष एवं महिला	उप स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों का प्राथमिक उपचार एवं आसपास के ग्रामों में चिकित्सा से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी संग्रहित करना एवं संधारण करना ।	उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं क्षेत्र भ्रमण	**OL,OA**
7	यांत्रिक सहायक	वह अपने कार्यक्षेत्र के अंदर संबंधित उप संचालक कृषि से समन्वय स्थापित कर ट्रेक्टर, बुलडोजर, अन्य मशीन आदि के उपयोग के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करना।	मैदानी एवं कार्यालय	**OL,LV,HH**
8	खण्ड स्तर अन्वेषक	सांख्यिकीय कार्य यथा सर्वेक्षण, डाटा संग्रहण एवं डाटा एन्ट्री।	मैदानी एवं कार्यालय	**OA,OL,HH**
9	खनि निरीक्षक	खदानों का ऐसेसमेंट हेतु निरीक्षण एवं दौरा	मैदानी, पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्र	**OA,OL,BL,OAL,HH**
10	खाद्य निरीक्षक	उचित मूल्य दुकानों निरीक्षण करना।	मैदानी, पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्र	**OA,OL,BL,OAL,HH**

1	2	3	4	5
11	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रक्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान कार्यों में सहयोग देना, फसलों का निरीक्षण करना।	कार्यालय एवं प्रक्षेत्र	OA,OL,OAL,BL,HH
12	ईअर मोल्ड टेकनिशियन	श्रवण यंत्र निर्माण हेतु कान के नाप का ढांचा तैयार करना।	मैदानी एवं कार्यालय	OL
13	बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक प्रचारक	निःशक्तजनों हेतु शिविर का आयोजन, निःशक्तजनों का चिन्हांकन, प्रमाणीकरण आदि।	मैदानी एवं कार्यालय	OA,OL,OAL,BL,LV,HH,BLOA
14	बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक तकनीकी	निःशक्तजनों हेतु तकनीकी विशेषज्ञ की मदद से कैलीपर तैयार करना	मैदानी एवं कार्यालय	OA,OL,OAL,BL,LV,HH,BLOA
15	बहुउद्देशीय प्रशिक्षक	छात्र/छात्राओं, अंतःवासियों को विभिन्न विधाओं/कलाओं जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, कम्प्यूटर, बुक बाइंडिंग आदि के संबंध में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित करना।	शाला	OA,OL,OAL,BL,B,LV
16	बांध निरीक्षक	मिट्टी के नमूनों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण।	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,HH
17	बाईंडर	समस्त प्रकार के कार्यालय के स्थायी अभिलेखों का व्यवस्थित बाईंडिंग का कार्य।	कार्यालय एवं मैदानी	OL,BL,LV,HH,B
18	ब्रेल ट्रांसकायवर	ब्रेल मशीन हेतु प्लेट तैयार की जाती है।	ब्रेल प्रेस	OA,OL,OAL,BL,B,LV,HH
19	कम्प्यूटर आपरेटर	कम्प्यूटर में डाटा-एन्ट्री संबंधी कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,OAL,BL,HH
20	कर्मशाला प्रशिक्षक	कर्मशाला संबंधी प्रशिक्षण कार्य।	कार्यालय।	OL,HH
21	कनिष्ठ भू-मापक	विकास योजना संबंधी कार्य एवं अन्य कार्यालयीन कार्य एवं सर्वे का कार्य।	कार्यालय तथा फील्ड वर्क	OL,HH
22	कनिष्ठ प्रशिक्षक	प्रयोगशाला संबंधी प्रशिक्षण कार्य।	कार्यालय।	OL,HH
23	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ग्रेड-3	कार्यालयीन कार्य	मुख्यालय, रायपुर	OA,OL,OAL,BL,B,LV,HH

1	2	3	4	5
24	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	ग्रेनेज कार्य जैसे सीड ककून का चयन, तितलियों का पेअरिंग तथा डिपेअरिंग, अण्डे देने के लिये मादा तितलियां रखना, माइक्रोस्कोपिंग	मैदानी कार्य।	**OA,OL,BL**
25	कनिष्ठ सहायक/लिपिक /सहायक वर्ग–3	कार्यालय के लिपकीय कार्य, पत्राचार भण्डारगृह शाखाओं पर स्कंध लेखा संबंधी कार्य।	समस्त छत्तीसगढ़।	**OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH**
26	कनिष्ठ उत्पादन सहायक	उत्पादन सहायक को संपादित किये जाने वाले कार्यो में सतत सहयोग प्रदान करना, बीज लोडिंग/अनलोडिंग कराना।	मैदानी स्तर पर प्रक्रिया केन्द्रों में	**OL,LV,HH**
27	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	निगम के उपार्जन केन्द्रों के गोदामों मे साविप्र अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता अनुसार चांवल/गेहूं/ मक्का उपार्जन करना एवं समय-समय पर संग्रहित खाद्यान्न का रखरखाव हेतु निरीक्षण करना।	जिला के गोदाम/ प्रदाय केन्द्रों में	**OL,HH**
28	उप अभियंता (सिविल)	निर्माण कार्यो से संबंधित एस्टिमेट, ड्राईंग एवं डिजाईन तैयार करना तथा निर्माण कार्य का निरीक्षण करना	कार्यालय एवं मैदानी	**OA,OL,HH**
29	उप अभियंता (यांत्रिकी)	यांत्रिकी संबंधी रखरखाव कार्यो का पर्यवेक्षण, निष्पादन एवं गुण नियंत्रण रखना।	कार्यालय एवं मैदानी	**OA,OL,HH**
30	उप अभियंता (विद्युत यांत्रिकी)	विद्युत इंजीनियर द्वारा सामान्यतः आन्तरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कार्य करना ।	कार्यालय एवं मैदानी	**OL,HH**

1	2	3	4	5
31	सहायक अभियंता	स्थल मे सर्वे तथा विकास/निर्माण कार्यो का निरीक्षण आदि	रायपुर निवेश क्षेत्र	OA,OL,OAL ,HH
32	कनिष्ठ आक्युपेशनल थेरापिस्ट	सभी अंगों का थेरेपी	कार्यालय	OA,OL,OAL,BL,HH
33	कार्य सहायक ग्रेड -2 (आरडीए)	स्थल में सर्वे तथा विकास/निर्माण कार्यो का निरीक्षण आदि	रायपुर निवेश क्षेत्र	OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH
34	कार्यक्रम सहायक	कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में कार्यक्रम समन्वयक को तकनीकी सहयोग प्रदान करना एवं कृषकों की समस्याओं का निराकरण करना।	कार्यालय एवं मैदानी।	OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH
35	कोषालय लिपिक सेवा	कार्यालय में भौतिक रूप से संधारित लेखाओं, लेखा पुस्तकों एवं अभिलेखों का संधारण, परीक्षण, टंकण इत्यादि	कार्यालय।	OA,OL,OAL,BL,HH
36	केमिस्ट	सिविल/मेकेनिकल इंजीनियर द्वारा बताये गये स्थानों एवं कार्य स्थल के निरीक्षण, तैयारी के लिये निरीक्षण द्वारा ली गई मापों और बिलों के भुगतान। परिणामों का आनलाईन एन्ट्री करना।	संपूर्ण छत्तीसगढ़	OA,OL,OAL,HH
37	कैशियर	कार्यालय में इकाईयों से राशि प्राप्त करना, पावती देना, लेखा संधारण का कार्य।	कार्यालय।	OA,OL,OAL,BL,HH
38	कल्याण सहायक	कार्यालयीन कार्य के साथ-साथ कारखाना/संस्थानों एवं केन्द्रों का निरीक्षण व रिकार्ड संधारण	संपूर्ण छत्तीसगढ़	OA,OL,BL,HH
39	E.C.G.टेक्निशियन	कंपनी के चिकित्सालय में ई.सी.जी. विभाग में सहायक	चिकित्सालय में	OL,HH
40	माईनिंग मेट	खान अधिनियम के तहत् खदान का कार्य (मैदानी कार्य)	मैदानी	निःशक्तता अमान्य
41	मशीन मेन	दृष्टि बाधितों हेतु ब्रेल लिपि मशीन का संचालन	कार्यालय	OA,OL,OAL,BL,HH

1	2	3	4	5
42	मशीन आपरेटर	मशीनों के रख रखाव, संचालन सुरक्षा तथा लागबुक पूर्ण करना।	वर्कशाप एवं बाहर	**OL,HH**
43	मोबिलिटी प्रशिक्षक	निःशक्तजनों को प्रशिक्षण के माध्यम से गतिशीलता में वृद्धि करना ।	स्कूल।	**OA,OL,OAL,BLB,LV, HH**
44	मोल्डर/सेल्समेन	तकनीकी प्रकार का कार्य है।	संग्रहालय।	**OA,OL,LV,HH**
45	मानचित्रकार	सिविल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को भवनों एव मशीनों की ड्राइंग बनाना एवं प्रशिक्षित करना।	कार्यालय/भवन	**OL,OA,HH,BL**
46	मार्गदर्शक/गाईड	संग्रहालय से संबंधित।	संग्रहालयों में गाईड करने का कार्य।	**OA,LV,HH**
47	मेकेनिक/ड्रिलर	निर्धारित समयानुसार मेकेनिकल संयंत्रों का संधारण कार्य संपादित करना, आवश्यक कलपुर्जो को कार्यस्थल तक ले जाना एवं सुधार कार्य करना।	कारखाना एवं मैदानी कार्य।	**OL,OA,HH**
48	मेट्रन	कन्या छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं का ध्यान रखाना, छात्रावास का समुचित संचालन करना एवं उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो को संपादित करना।	छात्रावास	**निःशक्तता अमान्य**
49	अग्निशमक एवं अग्निशमक अधिकारी	विभिन्न विद्युत उत्पादन गृहों में अग्निशमन का कार्य।	उत्पादन कंपनी के विद्युत गृह	**निःशक्तता अमान्य**
50	रिकार्डकीपर	टंकण कार्य, नस्तियों का रखरखाव, लाना-ले जाना, नस्ती को पढ़ना, लिखना आदि कार्य।	मुख्यालय/मैदानी	**OL,HH**
51	रिसर्च असिस्टेंट	लेब निर्माणाधीन सामग्री का निरीक्षण	कार्यालयीन कार्य	**OA,OL,OAL,BL,LV**
52	शिक्षक/शिक्षिका (समाज कल्याण)	शैक्षणिक कार्य।	स्कूल।	**OA,OL,OAL,BL,B,LV**
53	शिक्षक (मंदबुद्धि बाधितार्थ)	मंद बुद्धि छात्र/छात्राओं को अध्यापन कार्य।	स्कूल।	**OA,OL,OAL,BL,B,LV**

1	2	3	4	5
54	शिक्षक (श्रवण बाधित)	श्रवण बाधित छात्र/छात्राओं को अध्यापन कार्य।	स्कूल।	OA,OL,Bl
55	शिक्षक (दृष्टि बाधित)	दृष्टि बाधित छात्र/छात्राओं को अध्यापन कार्य ।	स्कूल।	OA,OL,BL,B,LV
56	विशेष शिक्षक	निःशक्त छात्र/छात्राओं को अध्यापन ।	स्कूल।	OA,OL,OAL,BL,B,LV
57	विक्रय सहायक/ भंडारपाल	जिला प्रबंधक को उनके द्वारा दायित्व कार्य में सहयोग तथा अनुपस्थिति में उसका पूर्ण दायित्व निर्वहन।	जिला स्तर पर	OA,OL,OAL,BL,HH
58	जिला परियोजना प्रबंधक (ई-पंचायत) तृतीय श्रेणी	ई-पंचायत से संबंधित कार्य, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से जानकारी संकलित कर ई-पंचायत पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। कम्प्यूटर की जानकारी आवश्यक है तथा क्षेत्र में भ्रमण भी किया जाता है।	मुख्यालय/मैदानी	OA,OL,BL,HH
59	निरीक्षण विधिक मापविज्ञान तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	विधिक माप-विज्ञान, अधिनियम 2009 के तहत् कार्य संपादन	राज्य स्तर	OA,OL,OAL,BL,HH
60	निरीक्षक (खाद्य, समाज कल्याण,सहकारिता,श्रम, उद्योग, वाणिज्यिक कर वर्दीधारी पदों को छोडकर)	मैदानी क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन कराना एवं अभिलेखों का निरीक्षण करना।	जिला स्तर	OA,OL,OAL,HH
61	हास्टल मैनेजर /वार्डन	छात्रावास का प्रबंधन तथा देख-भाल	महाविद्यालय का छात्रावास तथा कार्यालय।	निःशक्तता अमान्य
62	भू-रसायन सहायक	भू-रसायन सहायक से संबंधित कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,BL,HH
63	भू-गर्भ सहायक/ भू-सहायक/भू-जल विद सहायक	भू-गर्भ सहायक/ भू-सहायक/भू-जल विद सहायक से संबंधित कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,BL,HH

1	2	3	4	5
64	पर्यवेक्षक महिला बाल विकास (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी)	विकासखंड/परियोजना स्तर पर आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण करना, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, बैठक लेना, प्रतिवेदन तैयार करना,विभागीय कार्यक्रमो का सेक्टर स्तर पर क्रियान्वयन करना।	विकासखंड/परियोजना में सेक्टर अंतर्गत आं.बा. केन्द्र/संस्था	OA,OL,LV,HH
65	पर्यटन अधिकारी	राज्य में जिला स्तरीय एवं राज्य के बाहर स्थित पर्यटन सूचना केन्द्रों में राज्य के पर्यटन मंडल के प्रतिनिधि के के रूप में कार्य करना।	मुख्यालय/मैदानी	OA,OL,HH
66	पंजीयन लिपिक	दस्तावेज की प्रतिलिपिकरण, सूचीकरण, फीस लेना, पंजीयन अधिकारी की अनुपस्थिति में उप पंजीयक के समस्त दायित्वों का निर्वहन करना।	मुख्यालय/मैदानी	OL,BL,HH
67	पम्प आपरेटर-I	फिल्टर प्लांट एवं इंटेकवेल में मशीनों संचालन, फिल्टर प्लांट एवं इंटेकवेल में चढ़ना-उतरना। मशीन के चलायमान होने की जानकारी रखना, मशीन को चालू करना बन्द करना ।	औद्योगिक क्षेत्र	OL,LV, HH
68	पुनर्वास सहायक	निःशक्तजनों हेतु शिविर का आयोजन, निःशक्तजनों का चिन्हांकन, प्रमाणीकरण प्रचार-प्रसार आदि ।	मुख्यालय/मैदानी	OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH
69	प्लम्बर/फिटर	फिटिंग, मरम्मत इत्यादि कार्य	कार्यालय/भवन/लैब/ वर्कशाप	OL, LV,HH
70	प्लांट आपरेटर	खराबी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उपस्थित होकर मशीन सुधार कर चालू कराना होता है ।	मुख्यालय/मैदानी	OL,HH
71	व्याख्याता पंचायत	शाला में अध्यापन एवं मूल्यांकन कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना ।	प्राथमिक/माध्यमिक शाला	OL,BL,OA,OAL,B,LV, HH
72	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	शाला में प्रशासनिक नियंत्रण, शाला में अध्यापन व्यवस्था सुव्यस्थित रूप से संचालित करना ।	प्राथमिक/माध्यमिक शाला	OL,BL,OA,OAL,B,LV, HH
73	शिक्षक पंचायत	शाला में अध्यापन एवं मूल्यांकन कार्य सुव्यस्थित रूप से संचालित करना ।	प्राथमिक/माध्यमिक शाला	OL,BL,OA,OAL,B,LV, HH

1	2	3	4	5
74	सहायक शिक्षक पंचायत	शाला में अध्यापन एवं मूल्यांकन कार्य सुव्यस्थित रूप से संचालित करना ।	प्राथमिक/माध्यमिक शाला	**OL,BL,OA,OAL,B,LV, HH**
75	प्रयोगशाला सहायक	लेब में प्राप्त सामग्री का निरीक्षण कार्य में सहायता करना	कार्यालयीन कार्य	**OA,OL,OAL,BL,HH**
76	प्रक्षेत्र प्रबंधक	कृषि विज्ञान केन्द्र एवं संबंधित व्यवस्था।	कृषि विज्ञान केन्द्र एवं संबंधित जिले के ग्राम	**OA,OL,BL,HH**
77	प्रक्षेत्र सहायक	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रक्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान कार्यों में सहयोग देना, प्रक्षेत्र में मजदूरों का पर्यवेक्षण करना एवं उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।	प्रक्षेत्र	**OA,OL,BL,HH**
78	प्रशिक्षक (सुधारात्मक सेवा/निःशक्त कल्याण	अंतवासी सामान्य/निःशक्त बच्चों को विभिन्न विधाओं/कलाओं, कम्प्यूटर, ड्राईंग, पैंटिंग कटिंग टेलरिंग आदि के संबंध में प्रशिक्षण	शैक्षणिक कार्य ।	**OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH**
79	प्रशिक्षित उच्च वर्ग शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ)	श्रवण बाधित छात्र/छात्राओं को अध्यापन कार्य।	शैक्षणिक कार्य।	**OA,OL,BL**
80	प्रशिक्षित उच्च वर्ग शिक्षक (दृष्टि बाधितार्थ)	दृष्टि बाधित छात्र/छात्राओं को अध्यापन कार्य।	शैक्षणिक कार्य।	**OA,OL,BL,B,LV,**
81	प्रोस्थेटिस्ट	निःशक्तजनों हेतु कृत्रिम अंग/उपकरणों का निर्माण	कार्यालय	**OL,HH**
82	प्रचार सहायक ग्रेड-2	शासकीय कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना	मैदानी क्षेत्र/ कार्यालय	**OA,OL,BL, , B LV**
83	प्रुफ रीडर	निःशक्तजनों हेतु ब्रेल लिपि से संबंधित तैयार पुस्तिका में टंकण त्रुटि/चूक सुधार कार्य ।	कार्यालय	**OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH**
84	रेडियोग्राफर	चिकित्सक के निर्देशों पर मरीजों का एक्स-रे, सोनोग्राफी व एमआरआई मशीन का संचालन	चिकित्सालय	**OL, HH**

1	2	3	4	5
85	शू मेकर/लेदर वर्कर	निःशक्त व्यक्तियों हेतु कृत्रिम जूता का निर्माण	शैक्षणिक कार्य।	OL,BL,HH
86	संचार सहायक ग्रेड-3	कम्प्यूटर पर कार्य	कार्यालय	OA,OL,BL,OAL
87	समयपाल	स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यो का देखरेख करना।	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,LV,HH
88	समन्वयक (शिकायत निवारण)	शिकायतों की स्थल पर जांच, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। राज्य एवं जनपद स्तर पर जानकारी का प्रेषण।	जिला/जनपद स्तर	OA,OL,OAL,BL,HH
89	समन्वयक प्रशिक्षण	प्रशिक्षण संबंधित प्रस्ताव तैयार करना, प्रशिक्षण आयोजित करना। दिशा-निर्देश तैयार करना।	जिला स्तर	OA,OL,OAL,BL,HH
90	समन्वयक तकनीकी	प्राप्त प्राक्कलनों का परीक्षण एवं कार्यो का निरीक्षण मूल्यांकन का सत्यापन।	जिला/जनपद स्तर	OA,OL,OAL,BL,HH
91	समन्वयक (वित्त सेवाए)	आय-व्यय एवं बजट संबंधित कार्य	जिला स्तर	OA,OL,OAL,BL,HH
92	सहायक (शिकायत निवारण)	शिकायतों की स्थल पर जांच, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। राज्य एवं जनपद स्तर पर जानकारी का प्रेषण।	जिला/जनपद स्तर	OA,OL,OAL,BL,HH
93	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर /प्रोग्रामर	कार्यालय के विभिन्न आंकड़ों की डाटा एंट्री तथा एमआईएस, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का कार्य	कार्यालय	OA,OL,OAL,BL,HH
94	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का क्षेत्र में क्रियान्वयन करना	मैदानी	OA,OL,LV,HH
95	सहायक विधि अधिकारी	समस्त विधिक प्रकरणों पर विधिक सलाह देना, विश्वविद्यलय के विरूध्द् माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी बनाये जाने हेतु कार्यवाही करना, विश्वविद्यलय का पक्ष तैयार करना तथा उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो को संपादित करना ।	कार्यालय	OL,BL,OAL,B,LV,OA

1	2	3	4	5
96	सहायक निरीक्षक हाथकरघा	मैदानी क्षेत्रों में बुनकर सहकारी समितियों में योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, समिति के अभिलेखों का निरीक्षण।	जिला हाथकरघा कार्यालय	**OA,OL,BL**
97	सहायक प्रबंधक उद्योग	मैदानी कार्य/ औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण, संचालनालय में कार्यालयीन कार्य	कार्यालय	**OA,OL,OAL,BL,HH**
98	सहायक प्रबंधक MIS	कार्यालय के विपणन कक्ष से संबंधित कार्यों में कम्प्यूटर में कार्य, सामग्रियों की दरों के निर्धारण का कार्य, तथा ई-टेंडरिंग का कार्य।	कार्यालय एवं मैदानी	**OA.OL.OAL.BL HH**
99	सहायक रसायनज्ञ	संग्रहालय और राज्य के स्मारक स्थलों में रसायनीकरण उपचार का कार्य है। जिसमें सर्वेक्षण, मापजोख, नक्शा वनाना, ब्लू प्रिंट तैयार करना, रख-रखाव और तकनीकी जानकारी एकत्र करना होता है।	स्मारक, संग्रहालय, पुरातत्व स्थल	**OA,OL,HH**
100	सहायक संचालक (तकनीकी)	जिलों के बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन कार्यो का पर्यवेक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन	कार्यालय	**OA,OL,B,LV,HH**
101	सहायक छायाचित्रकार	शासकीय कार्यक्रमों का फोटो कव्हरेज करना	कार्यालय एवं मैदानी	**OL,HH**
102	सहायक ग्रंथपाल/ लाइब्रेरियन	संस्थान के ग्रंथालय का रखरखाव एवं प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित विषयों से संबंधित पुस्तके उपलब्ध कराना।	कार्यालय	**OA,OL,OAL,BL,HH**
103	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	भौतिक रूप से संधारित अभिलेखों/दस्तावेजों आदि का अनुशीलन, आंकड़ों का विश्लेषण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्य	संचालनालय संस्थागत वित्त	**OA,OL,OAL,BL,HH**
104	सहायक श्रम पदाधिकारी	कार्यालयीन कार्य के साथ साथ फिल्ड का कार्य (श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु)	पूर्ण जिला	**OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH**

1	2	3	4	5
105	लोको चालक	उत्पादन कंपनी के विद्युत गृह में रेलगाड़ी का चालन	उत्पादन कंपनी के विद्युत गृह	**OL**
106	सर्वेयर	भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्यो के लिये स्थान चयन कर भूमि का सर्वे कार्य करना जिसके आधार पर विभिन्न संरचना (स्टाप डेम, तालाब, मेढबंधान, जल संरक्षण हेतु संरचना) का नियमानुसार/मापदण्ड अनुसार निर्माण करना।	मैदानी	**OA**
107	स्टोरकीपर	कार्यालय में स्टोर से संबंधित कार्य	कार्यालय	**OA,OL,HH**
108	सूचना सहायक	राज्य में जिला स्तरीय एवं राज्य के बाहर स्थित पर्यटन सूचना केन्द्रों में राज्य के पर्यटन मंडल के प्रतिनिधि के के रूप में कार्य करता है। वह पर्यटको को चाही गई पर्यटन संबंधी जानकारी यांत्राओं से संबंधित मार्गदर्शन नये पर्यटन स्थलों का परीक्षण आदि करके मुख्यालय को प्रेषित करते है। साथ ही संचालित होटल मोटल में आवास एवं टूर पैकेज आदि की आन लाई एवं आफ लाईन बुकिंग करते है।	राज्य के अन्य जिले, राज्य के बाहर स्थित पर्यटन सूचना केन्द्र एवं मंडल मुख्यालय।	**OA,OL,OAL,BL,LV,HH**
109	उप पंजीयक	पंजीयन विभाग के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत संपति के अंतरण विलेखों इत्यादि का पंजीयन करना।	जिला एवं तहसील में स्थित उप पंजीयक कार्यालय	**OA,OL,OAL,BL,HH**
110	उप अंकेक्षक	आडिट करना - पंचायत संचालनालय तथा जिला कार्यालय ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर आडिट कार्य संपन्न किया जाता है।	मैदानी	**OA,OL,OAL,BL,HH**
111	ड्रेसर	चिकित्सालय में मरीजों की पट्टी बांधना।	चिकित्सालय	**OL,HH**
112	कृषि विस्तार अधिकारी/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ कृषि सहायक/क्षेत्र विस्तार अधिकारी	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रक्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान कार्यो में सहयोग देना, फसलों का निरीक्षण करना, फसलों को कीट से बचाना, प्रक्षेत्र में मजदूरो का पर्यवेक्षण करना एवं उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।	कार्यालय एवं प्रक्षेत्र	**OA,OL,HH**

1	2	3	4	5
113	छ.ग.अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग	वित्त विभाग से संबंधित।	विभागाध्यक्ष कार्यालय, कोषालय, निगम, मण्डल इत्यादि	OA,OL,OAL,BL,HH
114	व्यवसायिक शिक्षक	अंतवासी सामान्य/निःशक्त बच्चों को विभिन्न विधाओं/कलाओं, कम्प्यूटर, ड्राईंग, पैंटिंग आदि के संबंध में प्रशिक्षण	शैक्षणिक कार्य।	OA,OL,OAL,BL,B,LV, HH
115	वरिष्ठ उत्पादन सहायक	बीज व्यवस्था हेतु पंजीकृत कृषकों के प्रक्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है एवं फसल तैयार होते तक तकनीकी देखरेख में तकनीकी दल के साथ भागीदारी निर्वहन करना।	मैदानी	OL,LV,HH
116	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	विस्तृत रेखाचित्र तथा ड्राफ्टमेन, सिविल इंजीनियर अथवा स्वयं की सहायता से लागत अनुमान तैयार करना और उन्हें अपने ग्राहक अथवा संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदित कराना। कार्य स्थल पर आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना। प्रगति के प्रत्येक चरण पर विनिर्देशन के अनुसार कार्य का सही निष्पादन सुनिश्चित करना। कार्य स्थल के निरीक्षण, तैयारी के लिये निरीक्षण द्वारा ली गई मापों और बिलों के भुगतान।	मैदानी	OL,HH
117	वीडियोग्राफर	विभिन्न आयोजनों/ उत्सव/ मेला/ महोत्सवों, राज्य के स्मारकों/उत्खनन स्थलों में फोटोग्राफी तथा डाक्यूमेंटेशन करने का कार्य ।	स्मारक स्थल	OL,HH
118	वायरमेन/ इलेक्ट्रीशियन	विद्युत संबंधी समस्त कार्यों का संपादन करना एवं उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को संपादित करना	कार्यालय एवं मैदानी	OL,HH
119	वेल्डर	ड्राइंग के अनुसार मेटेलिक स्ट्रक्चर तैयार करना, अलग-अलग प्रकार के इलक्ट्रीक आर्क वेल्डिंग हेतु।	कार्यालय एवं मैदानी	OL, HH

1	2	3	4	5
120	फील्ड आफीसर	रेशन केन्द्र प्रभारी, केन्द्र के कार्यक्षेत्र का पर्यवेक्षण अधिकारी, केन्द्र तथा कार्यक्षेत्र के लिये निर्धारित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु।	मैदानी	OL,HH
121	फील्डमेन	बगीचा, ग्रेनज तथा बीज कक्षों की व्यवस्था, कृमिपालन, कीड़े बदलना, फीडिंग देना, माउन्टिंग, हार्वेस्टिंग, कृमिपालन हेतु	मैदानी	OA,OL,HH
122	फार्मासिस्ट	चिकित्सालय ड्रग स्टोर में दवाईयों का संधारण व मरीजों को दवाईयों का वितरण।	चिकित्सालय	OL,BL
123	फार्म मैनेजर	कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रबंधन से संबधित।	कृषि विज्ञान केन्द्र एवं संबंधित जिले के ग्राम	OA,OL,HH
124	तबला शिक्षक (तृतीय श्रेणी)	छात्रों को तबला वादन की शिक्षा देना तथा संगीत शिक्षक के साथ कार्य करना।	महाविद्यालय का परिसर ।	OL,BL,B,LV
125	तकनीकी विशेषज्ञ, अभियांत्रिकी (WCDC)	जल प्रबधन सबंध में तकनीकी कार्य।	जिला/परियोजना	OA,OL,OAL,BL,HH
126	तकनीकी विशेषज्ञ, आजीविका (WCDC)	आजीविका एवं लघु सूक्ष्म उद्यम से संबंधित कार्य।	जिला/परियोजना	OA,OL,OAL,BL,HH
127	तकनीकी सहायक	प्रशिक्षण कार्य में सहायता करना, ड्राइंग बनाना, सर्वेक्षण करना/ कम्प्यूटर का उपयोग करना, उपकरणों का उपयोग तथा मरम्मत करना। विद्यार्थियों को फील्ड/औद्योगिक भ्रमण पर ले जाना/ उपकरणों की भौतिक जांच करना इत्यादि।	प्रयोगशाला/भवन	OA,OL,OAL,BL,HH
128	विद्युत सुरक्षा निरीक्षक	विद्युत कंपनी के विभिन्न विद्युत उपकेन्द्र एवं विद्युत ताप गृहों की सुरक्षा के निरीक्षण का कार्य	मैदानी कार्य	OL,HH
129	नर्स	नार्सिंग का कार्य	चिकित्सालय में	OL
130	ज्येष्ठ संपरीक्षक/कनिष्ठ संपरीक्षक	दित्त विभाग से संबधित।	कार्यालय	OA,OL,OAL,BL,HH
131	नेत्र सहायक	चिकित्सालयों में आंख के मरीजों का परीक्षण एवं चिकित्सक के निर्देष पर उपचार।	चिकित्सालय	OL,BL,HH

1	2	3	4	5
132	अमीन	सिंचाई एवं भू-अर्जन प्रकरणों का आरम्भिक अभिलेख तैयार करना एवं निर्धारण।	कार्यालय एवं मैदानी	निःशक्तता अमान्य
133	आर्थोटिक प्रोस्थेटिक इंजीनियर जूनियर	निःशक्तजनों हेतु कृत्रिम अंग/उपकरणों का निर्माण	कार्यालय	OL,HH
134	ट्रेसर	सिविल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को भवनों एवं मशीनों की ड्राइंग बनाना एवं प्रशिक्षित करना।	कार्यालय/भवन	OL,HH
135	अन्वेषक	सांख्यिकीय से संबंधित कार्य ।	कार्यालय में ।	OL,BL, HH
136	अनुरेखक/ड्राफ्ट्समैन (सिविल/विद्युत यांत्रिकी)	नक्शे तैयार करना एवं अन्य कार्यालयीन कार्य।	कार्यालय	OL,HH,BL
137	अनसंधान सहायक	मिट्टी के नमूनों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों जैसे समेकन परीक्षणों विशिष्ट भार परीक्षण, निकलन परीक्षण भूमि के नमूने के लिए अनाज के आकार का विश्लेषण फसल काटने का परीक्षण।	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,BL,HH
138	अनुदेशक	कार्यालय में उच्च अधिकारी के साथ रहकर कार्य करना पड़ता है।	कार्यालय	OA.OL
139	अनुवादक	अधिसूचना, विधेयक, नियम, अधिधिनियम का हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद	विधि और विधायी कार्य विभाग	OA,OL,OAL,BL,HH
140	टर्नर	लेथ मशीन का संचालन एवं प्रचालन का कार्य।	कारखाना एवं मैदानी कार्य।	OL, HH
141	गृह शिक्षक (हाउस मास्टर)	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की उपयुक्त देखरेख और कल्याण करना	कार्यालय एवं मैदानी	OA,OL,OAL,BL
142	गोदाम कीपर	विदेशी मदिरा के गोदाम मदिरा रखना एवं विक्रय करने का कार्य।	मुख्यालय/मैदानी	OL..HH
143	ग्राम पंचायत सचिव	ग्राम पंचायतो के नस्तियों का संधारण, मिटिंग से संबंधित कार्य।	ग्राम पंचायत मुख्यालय	OA,OL,LV,HH

1	2	3	4	5
144	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	प्रक्षेत्र प्रबंधक द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यो में वांछित सहयोग प्रदान करना। कार्य का स्वरूप तकनीकी एवं शारीरिक श्रमपूर्ण है।	बीज उत्पादन प्रक्षेत्र में प्रमुखतः मैदानी स्तर का कार्य	**OA,OL,LV,HH**
145	ग्रामीण चिकित्सा सहायक	चिकित्सक की सहायता करना एवं मराजों का प्राथमिक उपचार	चिकित्सालय	**OL**
146	लैब असिस्टेंट/लैब टेक्नीशियन/लैब अटेंडेंट	कारखानों के प्रदुषण की सैंपल जांच हेतु केमिस्ट का सहयोग हेतु प्रयोगशाला में मरीजों से प्राप्त विभिन्न सैंपल की चिकित्कीय जांच कर रिपोर्ट देना। सम्बंधित प्रयोग शाला में उपकरणों का रखरखाव करना। व्याख्याताध्सहायक व्याख्याता द्वारा प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने में उनके द्वारा चाही गई वस्तुएं उपलब्ध कराना।	पदस्थ कार्यालय	**OL,HH**
147	गृह विभाग/जेल विभाग/आबकारी [illegible]रवहन [illegible] विभाग [illegible] के अन्तर्गत [illegible]ाने वाले पद [illegible] फिल्ड से संबंधित	चुनौतीपूर्ण एवं कानून व्यवस्था कार्य।	मैदानी कार्य।	**निःशक्तता अमान्य**
148	पटवारी	चुनौतीपूर्ण कार्य।	मैदानी कार्य।	**निःशक्तता अमान्य**
149	वाहन चालक	वाहन चलाना एवं वाहन का रख-रखाव।	मैदानी कार्य।	**निःशक्तता अमान्य**
150	राजस्व निरीक्षक	राजस्व विभाग	मैदानी कार्य।	**OA,HH**
151	नायब तहसीलदार/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी	राजस्व विभाग	मुख्यालय के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय	**OA,OL,BL,OAL,B,LV, HH**
152	सहायक अधीक्षक भू अभिलेख	राजस्व विभाग	मुख्यालय के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय	**OA,OL,BL,OAL,B,LV, HH**

निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पद चतुर्थ श्रेणी

क्र.	पदनाम	निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति	कार्यस्थल का विवरण	पद के लिए उपयुक्त निःशक्तता का प्रकार "शब्द संक्षेप"
1	2	3	4	5
1	इंजिन अटेंडेंट	इंजन का रखरखाव रिकार्ड संधारण	प्रयोगशाला	OL,HH
2	इलेक्ट्रिशियन/ सह वाटरमेन/ हेल्पर	संस्थान के बिजली/मेकेनिक, ड्रिलर, रिग आपरेटर एव जल प्रदाय संबंधित कार्यों का संधारण।	मैदानी कार्य।	OL,HH
3	बायलर अटेंडेंट	बायलर के महत्वपूर्ण भागों एवं कार्यविधि की जानकारी रखरखाव	प्रयोगशाला	OL,HH
4	बुकलिफ्टर	ग्रथालय का रखरखाव तथा सफाई आदि का कार्य। ग्रथपाल द्वारा सौंपे गये कार्य आदि।	महाविद्यालय का ग्रथालय तथा कार्यालय आदि।	OL,BL,HH
5	केयर टेकर	कार्यालय खोलना, अन्य कार्यालयीन शारीरिक कार्य। अंतवासी बच्चों की देखरेख	कार्य अंदर किया जाता है।	OA,OL,LV, HH
6	माली/प्रवर्तक	बगीचे का रख-रखाव तथा व्यवस्थित रखना।	परिसर।	HH,OL,LV
7	मत्स्य जमादार	नाव, जाल संचालन जलाशय की निगरानी मछली चोरी की रोकथाम, मत्स्य बीज तथा प्रजनक का रख-रखाव	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र एवं जलाशय	HH,OL,LV
8	फिल्टर प्लांट आपरेटर/ मीटर रीडर	फिल्टर प्लांट एवं इंटेकवेल में मशीनों संचालन, फिल्टर प्लांट एवं इंटेकवेल में चढ़ना उतरना।	औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य का संपादन ।	OL,HH
9	भृत्य /अर्दली	कार्यालय को खोलना एवं बंद करना, फाइलों को एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में ले जाना, फोटोकापी मशीन चलाना, फर्नीचर को व्यवस्थित करना, संवाद कौशल होना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर चैकीदारी भी करना पड़ता है। कार्यालय की साफाई, फर्नीचर को जमाना ब्लैकबोर्ड साफ करना, पानी पिलाना, छात्रावास संबंधी कार्य करना इत्यादि।	कार्यालय/भवन	OA,OL; B; LV, HH

1	2	3	4	5
10	पम्प आपरेटर-II	फिल्टर प्लांट एवं इंटेकवेल में मशीनों संचालन, फिल्टर प्लांट एवं इंटेकवेल में चढ़ना-उतना।	कारखाने एवं मैदानी कार्य।	**OL,LV,HH**
11	प्रयोग शाला अनुचर	उपकरणों को साफ करना।आर.ए, ई. आई. एवं प्रयोगशाला तकनीकीगण को परीक्षण करने में सहायता देना। नमूनों को क्रमबद्ध रखना ।	कार्यालय एवं मैदानी	**OL,HH,LV**
12	प्रयोगशाला परिचारक/ अटेण्डेन्ट	प्रयोगशाला में संधारित उपकरणों का प्रयोगशाला तकनीशियन के निर्देशन में समुचित रखरखाव करना।	प्रयोगशाला	**OL,HH,LV**
13	प्रोसेस सरवर	राजस्व रिकार्ड क्रमबद्ध करना, राजस्व वसूली हेतु नोटिस आदि की तामिली एवं राजस्व से संबंधित कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	**OA,OL,B ,LV,HH**
14	श्रम सहायक/ भृत्य विधिक माप-विज्ञान	विभाग द्वारा आयोजित पुनः सत्यापन शिविर में व्यापरियों को नोटिस वितरण	राज्य स्तर	**OA,OL, B, LV, HH**
15	रसोईया/ मसालची	कार्यालयीन संस्थाओं में अंतवासियों हेतु खाना बनाना । शारीरिक कार्य ।	कार्य अंदर किया जाता है।	**OL,HH**
16	सहायक ग्रेड-2/3 (प्लांट/बेल्टमेन)	विद्युत उत्पादन गृहों के संचालन एवं संधारण के विभिन्न कार्य	उत्पादन कंपनी के विद्युत गृह	**OL,HH**
17	सहायक ग्रेड-2/3 (सिविल)	सिविल संबंधित निर्माण एवं रखरखाव के विभिन्न कार्य	मैदानी क्षेत्र	**OL,HH,LV**
18	स्वीपर/फर्रास तथा हास्टल स्वीपर	भवन तथा संपूर्ण परिसर का साफ-सफाई एवं अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य का निष्पादन।	शासकीय परिसर से सम्बंधित	**OA,OL, LV, HH**
19	दफ्तरी	स्टेशनरी प्रदाय करना, डाक तैयार करना, रजिस्टर/फाइलों को बांधना, फाइलों की व्यवस्था करना।	मुख्यालय/मैदानी	**OL,OA,B,LV,HH**
20	वेटर/बटलर	पर्यटन विभाग वेटर संबंधी कार्य।	राज्य के अन्य जिले, राज्य के बाहर स्थित पर्यटन सूचना केन्द्र एवं मुख्यालय।	**OL,HH**
21	चैन मेन	फिल्ड में विभाग द्वारा निर्माण कार्यो जैसे स्टाप डेम आदि में चैन/टेप द्वारा नाप जोख का कार्य करना साथ ही साथ अन्य कार्यो में सहयोग करना।	कार्यालय एवं बाहर	**OA,HH**

1	2	3	4	5
22	फर्राश	कार्यालय की साफ सफाई, झाड़ू पोछा पानी की व्यवस्था इत्यादि।	कार्यालय	**OL,HH**
23	तुलावटी	चलित वाहन चालक के साथ हेल्पर का कार्य संपादित करना।	जिला/चलित वाहन के साथ	**OL,HH**
24	आदेश वाहक/मैसेंजर	डाक एवं सूचना पत्र लाना ले जाना, देयक कोषालय में लगाना, चेक लाना आदि कार्य।	मुख्यालय/मैदानी	**OA,OL,B ,LV,HH**
25	ग्राम रोजगार सहायक	क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण, उपस्थिति, अभिलेखों का संधारण, ग्राम पंचायत स्तर की जानकारी, जनपद ले जाना।	ग्राम पंचायत एवं आबंटित क्षेत्र	**OA,OL,LV,HH**
26	स्ट्रेचर वियरर कम क्लीनर	मरीजों के परिवहन तथा वाहन की सफाई का कार्य।	राज्य बीमा औषधालय/ चिकित्सालय	निःशक्तता अमान्य
27	धोबी, मेट टू धोबी	कपड़ा सफाई एवं प्रेस का कार्य।	परिसर।	**OL,HH**
28	वार्डसेवक, आया	कंपनी के चिकित्सालय में साफ सफाई एवं रखरखाव का कार्य	चिकित्सालय में	**OA,OL,LV**
29	सुरक्षाकर्मी/चौकीदार	परिसर सुरक्षा कार्य।	परिसर।	निःशक्तता अमान्य
30	आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिका	आंगनबाडी संबंधी कार्य।	मैदानी	**OA,OL,HH**